BIHAR ATOMIC AUTHORITY BILL, 1991

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के प्रयोजनार्थ एक परमाणु प्राधिकरण की स्थापना तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

RESERVATION OF POSTS IN GOVERNMENT SERVICES AND SEATS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS FOR ECONOMICALLY WEAKER SECTION AND PEOPLE LIVING BELOW THE POVERTY LINE BILL, 1991

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगो और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए सरकारी सेवाओं मे पदों तथा शैक्षिक संस्थाओं में स्थानों के आरक्षण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 1991

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now we shall proceed to the Constitution (Amendment) Bill, 1990 which was already moved. Mr. Ahluwalia, you were speaking on 28th December and your speech appears to be incomplete. So, would you like to speak?

SHRI S. S. AHLUWALIA: Yes, Sir.

DR. RATNAKAR PANDEY (Uttar Pradesh): For two minutes,...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Please give him some time. It is a very important subject.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1990 (INSERTION OF NEW ARTICLE 16A)—(Contd.)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आप चाहे किसी धार्मिक समागम में चले जाएं, किसी राजनैतिक सम्मेलन में चले जाएं, या किसी सामाजिक समागम मे चले जाएं, हर जगह कर्म की बात की जाती है, हर जगह अच्छे और बुरे कामों की व्याख्या की जाती है। पर अच्छे और बुरे काम तो आदमी तब कर सकता है जब उसे काम का अधिकार हो, काम करने का अधिकार उसे मिले तभी वह अच्छा या बुरा या उसको अच्छी तरह से या शांतिमय ढंग से या अशांतिमय ढंग से तभी कर सकता है। पर जिस आदमी के पास काम करने का अधिकार हो न हो तो वह अपनी काबलियत, अपनी अच्छाई या बुराई दिखाने का भी मौका खो बैठता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी पीछे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें मैंने पढ़ा कि पिछले साल हमारे हिन्दुस्तान में 60 हजार लोगों ने आत्म-हत्याएं की हैं। ये 60 हजार आत्महत्याएं करने वाले लोग कौन हैं, उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 18 से लेकर 32 साल की है, जो कि एक आदमी के जीवन का गोल्डन पीरियड होता है। उपसभाध्यक्ष

महोदय, इस उम्र के बीच ही एक नोजवान अपना जीवन-साथी ढूंढता है, एक नौजवान नौकरी ढूंढता है और उस नौकरी में जो वह धन-उपार्जन करता है, जो कमाई करता है, उससे वह सारी जिन्दगी खाता है, पीता है, अपने रहने के लिए एक छत बनाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, पर दुर्भाग्य की बात है इन 60 हजार आत्महत्या करने वालों में करीब 55 फीसदी वह लोग हैं जो बेकार थे और बेकारी से तंग आ कर, घर वालों के लाहने सुनकर, समाज में उत्पीड़न देखकर और एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के चक्कर लगा-लगा कर थक गए थे। अपनी डिग्रियां फाड़ कर उन्होंने आत्म-हत्याएं की हैं। 55 फीसदी लोग 60 हजार लोगों में से वे हैं जिन्होंने ऐसी आत्महत्याएं की हैं। वैसे तो निराश प्रेमियों की संख्या भी कम नहीं है। पर प्रेमियों की संख्या भी कैसी है कि वह प्रेम करते थे, शादी इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वे बेकार थे और बेकार होने के कारण वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए और मारे गए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व पुरखों ने जब इस देश को आजाद करने की बात की थी, आजादी की लडाई लड़ी थी तब उन्होंने बहुत भरे विचार किए थे कि हम एक ऐसा भारत, अपने आने वाले भविष्य को कैसा भारत देंगे, आने वाली पुश्तों को हम कैसा भारत देंगे, उसी वक्त जब संविधान सभा में भाषण दे रहे थे तो उन लोगों ने अपने कुछ विचार प्रकट किए थे। जिसमें 23 नवंबर, 1948 को श्री एच०वी० कामथ ने कांस्टिट्यूशन बनने वाली कांस्टीटुएंट एसेंबली मे बोलते हुए कहा था——

"The concent of economic and social democracy has formed the basis, the content of most Congress resolutions that have been passed since 1936 specially. Sir, I would refer to the resolution passed at the Meerut session of the Congress which gives a definite meaning to this concept of economic and social democracy. Dr. Ambedkar said that to his mind political democracy means one man one vote, economic democracy means one man one value."

डेमोक्रेसी के संबंध में आज हम तरह-तरह के प्रचार करते हैं, अपने मेनिफेस्टो में लिखते हैं कि हर हाथ को हम काम देंगे, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, लेकिन जब हम सत्ता में आते हैं तो इन चीजों को भूल जाते हैं। मुझे याद है, पिछले 1989 में जनता दल ने अपने मेनिफेस्टो में लिखा था कि "राइट टू वर्क" को लागू करेंगे, लेकिन नेशनल डवलपमेंट कार्उसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वी०पी० सिंह को जरा भी इस का अंदाज नहीं रहा कि उन्होंने खुद अपने मेनिफेस्टो मे ऐसी बात कही थी पर एन डी०सी० के आफिशियल्स ने जब कहा कि यह ऐसे इम्प्लेमेंट नहीं हो सकता है, तो वह उनको यह बात नहीं समझा सके कि पूर्व के महापुरुषो ने ऐसे भारत की बात कही थी जहां राजनैतिक अधिकारों के साथ आर्थिक स्वायत्ता की बात भी कही गयी है और वैसी कल्पना कर हमने भारत को सजाने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि दिन-प्रति-दिन जब हम आगे बढ़ रहे है, हमारी पापुलेशन बढ़ती जा रही है, 1961 मे हमारे देश की टोटल लेबर फोर्स 188.7 मिलियन थी और उसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, वह हमारी पापुलेशन के सिर्फ 30.3 प्रतिशत थे और बाद बाकी सारे-के-सारे एग्रीकल्चर लेबर थे। आज 1981 की सेंसस के हिसाब से कहता हूं कि वह 244.6 मिलियन लेबर फोर्स है और इंडस्ट्रियल सिर्फ 39.5 है। हमने इस 9 परसेंट लेबर फोर्स के बारे में सोचा ही नहीं। हमने बड़े-बडे कारखाने तो लगाए जो कि कंप्यूटर के माध्यम से चलते हैं। उसमें प्रोडक्शन तो जरूर बढ़ता है किंतु वहां लेबर फोर्स ज्यादा एम्प्लाइड नहीं कर सकते। ये सारे लेबर इंटेंसिव यूनिट न होकर प्रोडक्शन इंटेंसिव यूनिट है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे देश में जहां कि 85 करोड़ जनता है, जहां हर घर में बच्चे हों, हर घर में जवान लोग हो, बूढ़े लोग हो वहां ज्यादा-से-ज्यादा ऐसे

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

कारखाने लगाने चाहिए जिसमें ज्यादा-से-ज्यादा लोगों से काम लिया जा सके। चाहे वह स्किल्ड हों या नॉन-स्किल्ड हों, टेक्नीशियन हो या नॉन-टेक्नीशियन हो, सभी से काम लिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हर धर्म में चाहे बाइबिल को ले लीजिए, गुरुग्रंथ साहिब को ले लीजिए, जुडाइज्म ले लीजिए, जैनिज्म को ले लीजिए, हर धर्म में कर्म की बात कही है। वही कर्म करने के अधिकार की बात, भारतीय संविधान बनाने वालों ने भी "राइट टु वर्क" देने की बात कही, लेकिन आज तक वह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। उसमें ऐसा कोई दबाव नहीं आया। मैंने इस विधेयक के माध्यम से मांग की है कि यह फंडामेंटल राइट में आना चाहिए। जिस तरह। स्त्री-पुरुष एक बच्चे को जन्म देते हैं तो मां का फर्ज बनता है उसको दूध पिलाना, बाप का फर्ज बनता है कि उसको कपड़ा खरीदकर देना और सुरक्षित घर देना उसी तरह से भारत के बच्चों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए उनकी मां-बाप इस सरकार का फर्ज बनता है कि वह 18 साल के युवक-युवतियों को नौकरी दे। हमारे भारत के 85 करोड़ जोड़े हाथ बेकार नहीं होने चाहिए। हर हाथ को काम मिल सके, वैसा एक संकल्प लेकर ही मैंने यह विधेयक पास करने के लिए माननीय सदन से गुजारिश की है और मेरी गुजारिश है कि भारत के संविधान मे संशोधन के लिए प्रस्तुत इस विधेयक पर विचार किया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सदस्य अहलुवालिया जी जब विधेयक लेकर यहां आए हैं, उस विधेयक के लिए मैं न तो इनका आभार प्रदर्शित कर सकती हूं और न ही यह कहकर कि देर आयद दुरुस्त आयद करके अभिनंदन कर सकती हूं।...

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : फिर आप क्या करेंगी ?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : पांडेय जी, आप धीरज से सुनिएगा और मैं क्या करूंगी वह भी बताऊंगी।... (**व्यवधान**)

महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि काम का अधिकार वह मोड़ है, जहां से रास्ते अलग-अलग होते हैं और मैं यह कहना चाहती हूं कि आज इस विधेयक के जरिए जिस रास्ते पर वह खड़े हैं और सत्ता की जिस गाड़ी को वह हरी झंडी दिखा रहे हैं, वह गाड़ी काम के अधिकार की मंजिल तक नहीं पहुंचती। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इससे पहले भी सत्ता की जिस गाड़ी में मेरे माननीय सदस्य सवार थे, वह गाड़ी भी काम के अधिकार तक नहीं जाती थी।

महोदय, हम लोग जो राजनीति करते हैं, मेहनतकश जनता की राजनीति, और वह काम का अधिकार उस मेहनतकश जनता की मुक्ति से जुड़ा हुआ है। काम का अधिकार वह मूलभूत अधिकार है, वह बुनियादी अधिकार है, जिस अधिकार के अभाव में आपके तमाम अधिकार पाखण्ड सिद्ध हो जाते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि बहुत से समाजों में शादी के समय एक रिवाज होता है। फेरे लगाए जाते हैं और फेरों के बाद में पंडित जो वधू को कहते हैं कि आपको वर से जो भी वरदान मांगने, सात वरदान आप मांग सकती हैं। वधू सात वरदान मांगती है। उसके बाद पंडित जी वर से कहते हैं कि अब आप एक वर मांगिए औ वह दूल्हा सिर्फ एक वर मांगते हैं कि पति की आज्ञा ही शिरोधार्य मानकर चलना। इस एक ब्रह्मास्त्र के जरिए पत्नी को दिए गए सारे अधिकार छीन लेते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि... (**व्यवधान**).....

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इसकी जरूरत है...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह नोट कर लिया जाए। पांडेय जी, आपसे बाद में बात करूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि काम का अधिकार वह ब्रह्मास्त्र है,

जिस ब्रह्मास्त्र को छीनकर हमारी सरकार हमारे सारे दिए गए अधिकारों को बेमानी बनाती है, निरर्थक बनाती हैं। जनतंत्र, समानता, न्याय के अधिकारों का काम के अधिकार के अभाव मे कोई मूल्य नहीं होता। एक भूखे नंगे आदमी के लिए जनतंत्र, समानता और न्याय जैसी बातें महज खोखली बात साबित हो जाती हैं। काम का अधिकार व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास के लिए एक गारंटी है। यदि सभ्यता के आदि विकास की कहानी को कहें तो हम यह पाते है कि काम का अधिकार ही वह अधिकार है काम की शक्ति, मनुष्य की सृजन की शक्ति, मनुष्य के निर्माण की शक्ति ही वह शक्ति है जिसने आदमी और वानर के बीच भेद किया है। वह सभ्यता, जो सभ्यता आदमी के काम के अधिकार को बाधित करती है, जो सभ्यता आदमी के निर्माण की क्षमता, को बाधित करती है, जो सभ्यता और संस्कृति आदमी की सृजन क्षमता को बाधित करती है, वह सभ्यता कभी भी सभ्य सभ्यता नही कही सकती। और मुझे खेद है कि हमारी आज की सभ्यता पर सबसे बड़ा कलंक कोई है तो वह बेरोजगारी का कलंक है।

महोदय, सवाल यह उठता है कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शुरु मे ही काम के अधिकार की बातें कही गई, लेकिन इसके बावजूद हकीकत यह है कि आज तक काम का अधिकार वास्तविकता नही बन पाया। अब तक सात-सात पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं और अगर इन सातों पंचवर्षीय योजनाओं को आप उठाकर देखें तो प्रायः सभी पंचवर्षीय योजनाओं का यही लक्ष्य था कि बेरोजगारी को दूर किया जाए। लेकिन इन लक्ष्यों को कैसे हासिल किया गया, यह मे बताना चाहूंगी कि पहली पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारों की संख्या 53 लाख थी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 71 लाख हो गई, तीसरी में 98 लाख हो गई, चौथी में एक करोड़ 71 लाख हो गई, पांचवीं में 2 करोड़ 21 लाख हो गई, छठी में 2 करोड़ 59 लाख तथा सातवीं में 3 करोड़ से ऊपर हो गई। महोदय, सवाल यह है कि हमारी योजनाएं क्यों असफल होती हैं? यह योजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में क्यों असफल होती हैं? इसका कारण आम तौर पर यह बताया जाता है कि हमारी बढ़ती हुई आबादी ही इसका मुख्य कारण है। लेकिन अगर बढ़ती हुई आबादी इसका कारण होती तो वह बड़े-बड़े विकसित पूंजीवादी देश जिनकी कि आबादी बहुत कम है, वहां पर क्यों बेरोजगारी होती? और इसके ठीक विपरीत समाजवादी देश वहां आपको बेरोजगारी नही मिलेगी और सबसे पहले सोवियत संघ ने ही काम के अधिकार को नागरिक के अधिकार और कर्तव्य से जोड़ा था। उनकी अपनी आंतरिक कमजोरियां हो सकती हैं उसको मैं अभी विवाद का विषय नही बनाना चाहती लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि समाजवादी व्यवस्था ने ही सबसे पहले काम के अधिकार को नागरिक के मूलभूत अधिकार और कर्तव्य के साथ जोड़ा।

श्रीमान मैं यह कहना चाहती हूं कि बेरोजगारी और पूंजीवाद का घनिष्ठ संबंध है। पूंजीवाद का विकास और इसके विकास की कहानी को शुरु मे ही तलाशते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि "पूंजी के सृजन के लिए यह जरूरी है कि पण्यों के उत्पादकों के हाथ में पहले से ही अतिरिक्त पूंजी और श्रम मंडी के लिए अतिरिक्त श्रम हो और इस तथ्यों की सच्चाई को अगर हम जानना चाहें तो हम अपने हिन्दुस्तान के इतिहास को देख सकते है कि किस तरह से हमारे यहां पूंजीवाद का विकास हुआ, किस तरह से हमारे यहां गांव के गरीबों को उजाड़ा गया। व हमारे गांव के गरीब कारीगर, जो कभी ढाका की विश्वविख्यात मलमल बनाते थे, उनके अंगूठे काट दिए गए और गांवों से उजड़कर जो श्रमिक आए और जिनका चित्रण हमें प्रेमचन्द के "गोदान" में "होरी" के बेटे "गोबर" के रूप में मिलता है, वह हमारे समाज का वास्तविक यथार्थ है कि किस तरह से हमारे गांव के गरीब किसान उजड़ते गए और किसान से खेत मजदूर बने और फिर वे शहरों मे पूंजीपतियों के कारखानों में काम करने के लिए आए। इसी दशा का वर्णन

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

करते हुए कार्ल मार्क्स ने "पूंजी" में कहा है "कि यह पूंजी अपने सर से पांव तक कीचड़ से लथपथ और रक्त से सन कर समाज में आती है।" तो महोदय, यह पूंजीवाद के विकास की आदिम कहानी को मैंने कहा, लेकिन यही सच है। पूंजीवाद के विकास की कहानी भी इसी के साथ सत्य है क्योंकि यदि हम आज के यथार्थ को देखें तो हम यह पाएंगे कि पूंजीपति अपनी लड़ाइयां जिस आधार पर जीतते हैं, वे लड़ाइयां जो होड़ के आधार पर जीती जाती हैं, जिनका मूल लक्ष्य मुनाफा होता है। पूंजीपति आपस में जो लड़ाइयां जीतते हैं, वे इस खातिर नहीं जीतते कि वे अधिक से अधिक मजदूरों को भर्ती करते हैं बल्कि पूंजीपति इस आधार पर अपनी लड़ाई जीतते हैं कि कौन पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा संख्या में मजदूरों को बर्खास्त कर सकता है। तो यह पूंजीवाद की व्यवस्था है और पूंजीवाद ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को बर्खास्त करके ही जिन्दा रह सकता है। तो पूंजीवाद और काम का अधिकार बिल्कुल ही दो विपरीत चीजें हैं जो साथ-साथ नहीं चल सकतीं और इसलिये काम का अधिकार यद्यपि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के काल में चिंता का विषय बना था, लेकिन वामपंथी पार्टियां शुरु से काम के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करने की मांग करती रही थीं और हमने इसी आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की भी आलोचना की थी कि जिस आर्थिक नीति को लेकर वे चल रहे हैं वह आर्थिक नीति काम के अधिकार तक नहीं जाती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह कहना चाहती हूं कि आज अगर हम अपने समाज को देखते हैं, अपने समाज के यथार्थ को देखते हैं तो निश्चित रूप में यह हमारे लिये चिंता का विषय होता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Are you supporting the Bill?

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: Yes. I am going to support. Don't worry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): She cannot oppose.

DR. RATNAKAR PANDEY: She is too democratic.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: I am going to support it. Don't worry.

DR. RATNAKAR PANDEY: There may be some points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Sorry for the intervention.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: It is all right.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती थी कि इस पृष्ठभूमि में अगर हम अपने समाज को देखें, आज के यथार्थ को हम देखें तो सबसे पहली सूरत हमारे सामने जो आती है कि किस तरह आज हमारे परम्परागत उद्योग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे उद्योग, हमारा कपड़ा उद्योग, हमारा इंजीनियरिंग उद्योग लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और हम जिस आत्मनिर्भर अर्थ नीति के निर्माण की कल्पना करते रहे हैं, जिसके बारे में हम लगातार संसद के मंच पर, संसद के बाहर हम बड़ी-बड़ी उद्घोषणायें करते रहते हैं लेकिन हमारी तमाम उद्घोषणाओं का लब्बोलुबाब यह है कि हमारी अर्थ नीति पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पकड़ गहरी होती जा रही है।

पिछले दिनों हमें सुपर 301 के जरिये धमकी दी गयी थी और भारत अपनी साम्राज्यवाद विरोधी नीति, गुटनिरपेक्ष नीति पर न चल सके, इसके दबाव आये थे और इसके परिणाम आज हम देख रहे हैं कि किस तरह की गुटनिरपेक्ष नीति पर लगातार दबाव आ रहे हैं। शायद यही कारण हो कि आज भारत के आर्थिक द्वार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिये खुले छोड़ दिये गये हैं। लगातार उन्हें नयी से नयी सुविधायें दी जा रही हैं। तो जब हमारी अर्थ नीति पर विदेशी अर्थ नीति का कब्जा रहेगा तो हम कभी भी स्वतंत्र अर्थ नीति का निर्माण नही कर पायेंगे और जब तक स्वतंत्र अर्थ नीति का निर्माण

नहीं कर पायेंगे तब तक काम के अधिकार पर निःसंदेह सिर्फ हम हवा के रूप में ही बातें करते रहेंगे। तो इसके लिये यह सबसे जरूरी है, मैं समझती हूं कि अगर काम के अधिकार के प्रति हम वास्तविक रूप में गंभीर है, अगर हम रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध करवाना चाहते हैं तो मैं यह समझती हूं कि हमें अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल स्वदेशी तकनीक विकसित करनी होगी, हमें हमारे कुटीर उद्योगों को संरक्षण देना होगा। आज जो हमारे उद्योग हैं, आज सवाल उठता है कि क्यों हमारे उद्योग लगातार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं? क्यों एक नया कारखाना खुलता नहीं कि 10 पुराने कारखाने बंद हो जाते हैं? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमारी जो आज की व्यवस्था है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक व्यक्तिगत मालिक अगर एक नया कारखाना खोलता है तो उस कारखाने में जितना धन लगता है उसका 80 प्रतिशत धन सरकारी संस्थाओं से आता है और उस व्यक्तिगत मालिक को इस बात से कोई सरोकार नहीं रहता कि उसका कारखाना चले या न चले, क्योंकि वह अपना 20 प्रतिशत धन तो किसी तरह तिकड़म से बचा लेता है और सरकार का धन वहां जाकर व्यर्थ हो जाता है। तो यह जो लाइसेंसिंग नीति है, ऋण देने से पहले सरकारी संस्थायें इस बात की कतई परवाह नहीं करती कि जिस चीज के लिये हम अनुमति दे रहे हैं उस चीज की बाजार में क्या स्थिति है? क्या हमें उस चीज को खोलने की अनुमति देनी चाहिये? तो बाजार का सर्वेक्षण एकदम नहीं किया जाता और इसके चलते सरकार का सारा पैसा बंद कारखानों में खत्म हो जाता है। इसलिये मैं चाहती हूं कि सरकार अपनी लायसेंसिंग नीति को ठीक करे और इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि हमने तो कानून बनाकर कह दिया कि हमने जमींदारी व्यवस्था खत्म कर दी। लेकिन हकीकत यह है कि आप संविधान की पोथियों में दर्ज कर दीजिये, कानून बना दीजिये लेकिन कानून की वास्तविकता और समाज की वास्तविकता में जमीन और आसमान का अंतर होता है। कानून की वास्तविकताएं जब समाज

4 P.M. ठोस चट्टानों से टकराती हैं तो टुकड़े-टुकड़े हो जाती हैं। यही हाल हमारी जमींदारी का भी है। आज भी गावों की 36 प्रतिशत जमीन सिर्फ 6 प्रतिशत लोगों के हाथ में है और हम भूमि-सुधार की बात करते हैं। मैं अभिनंदन करना चाहूंगी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का कि उसने भूमि-सुधार संबंधी कानूनों को नवीं अनुसूची में रखा और इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया। वास्तव में भूमि सुधार को सही रूप में अमल में लाना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा मैं चाहूंगी कि सारी अर्थ-नीति को पूंजीपतियों की अराजकता से मुक्त किया जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सार्वजनिक उद्योगों को, अपने पब्लिक सेक्टर को संरक्षण दें और इसके साथ ही पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों की छंटाई करने के, क्लोजर करने के, तालाबंदी करने के अधिकार पर रोक लगाएं।

इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि काम के अवसरों को बढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है कि हम काम के घंटे कम कर दें ताकि रोजगार के अवसर बढ सकें। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगी कि मजदूरी के संबंध में महिला कामगार और पुरुष कामगार के बीच में जो भेद किया जाता है, उस भेदभाव को खत्म किया जाए। अगर वास्तव में हमें काम के अधिकार को अमल में लाना है तो सरकार को निश्चित रूप में अपनी मूलभूत नीतियों में परिवर्तन करना होगा। जब तक वह अपनी मूलभूत नीतियों में परिवर्तन नहीं करती, तब तक काम का अधिकार सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा।

इसलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि—

"कविता में कहने की आदत नहीं है
पर कह दूं,

वर्तमान समाज चल नहीं सकता,
पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं
सकता"

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

मैं यह आशा करती हूं कि अहलुवालिया जी ने जो विधेयक पेश किया है, इसके जरिये हम काम के अधिकार को हासिल तो नहीं कर पाएंगे लेकिन इस दिशा में अपने संघर्ष को जरूर आगे ले जा सकेंगे। धन्यवाद।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय सांसद मित्र श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया ने संविधान के अनुच्छेद 16 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाए" से अपना भाषण शुरू किया है जिसमें लिखा गया है कि —

"16(क) सब प्रौढ़ नागरिकों को काम का अधिकार होगा अर्थात गारंटीकृत रोजगार और काम के स्वरूप, मात्रा तथा कोशल के अनुसार किए गए काम के लिए भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा ताकि उन्हें जीवन-यापन के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जा सकें।"

संविधान में यह जो अंतःस्थापना लाई जा रही है, उसके मूल में जाने से पहले यह बताना बहुत आवश्यक है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा विधान किया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में पैदा होता है, उसे काम का अधिकार दिया जाए लेकिन उस पर जिस रूप में अमल होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। इस देश पर तीन-तीन बार स्वतंत्रता के बाद आक्रमण हुए और साल-दो-साल पर बराबर सूखा, बाढ़ जैसी दैवी विपत्तियां आ पड़ती हैं। जो नुकसान इससे होता है अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा सूखा से, उससे देश की अर्थव्यवस्था और योजनाएं छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में कुछ ऐसे बुनियादी काम हुए जिसके बाद अब नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी देने पर अमल चलने लगा। आज भारत दुनिया का छठा औद्योगिक राष्ट्र माना जाता है, वैज्ञानिक कर्मियों की संख्या की दृष्टि से और उनकी कुशलता की दृष्टि से भारत संसार में पांचवां राष्ट्र माना जाता है। उद्योग, व्यापार, विज्ञान की दृष्टि से भारत जो कि विकासशील राष्ट्रों का नेता है, उनका नेतृत्व करता है, सबको सहयोग देते हुए उनके विकास में अपना शिल्प, ज्ञान विज्ञान और समस्त राष्ट्रीय अनुभव को लागू करता है। आज हमारे यहां करीब 3 करोड़ छोटे बड़े उद्योग हैं। अगर....

4 p.m.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): May I request Mr. Desai to take the Chair? I think the House would have no objection.

DR. RATNAKAR PANDEY: I hope he will give me the same time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You will continue. He won't interrupt you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): IN THE CHAIR)

DR. RATNAKAR PANDEY: Be kind to me. I welcome the new Vice-Chairman.

आज देश में तीन हजार छोटे बड़े उद्योग हैं, अगर प्रत्येक इकाई एक एक आदमी को...

श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल (गुजरात) तीन हजार बहुत कम हैं...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : तीन करोड़ छोटे बड़े उद्योग हैं और अगर प्रत्येक इकाई एक एक व्यक्ति को काम देने की गारंटी दे तो जो हमारे रोजगार कार्यालयों में तीन करोड़ से ऊपर बेरोजगारों का नाम दाखिल दफ्तर है, वह एक कलम से काम किया जा सकता है। अब देश बेरोजगारी उन्मूलन की बात कर रहा है और यह तभी संभव हो सकता है जब कि राजनीतिक संकल्प हम लें और हमारा कांग्रेस का शासन भी तो बेरोजगारी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध था। जो योजनाएं हमने लागू की थीं, वह 1988 में ही लागू की जा सकती थी। कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करके काम के अधिकार की गारंटी मात्र करना जरूरी नहीं समझा बल्कि संविधान में यह लिखना ही जरूरी नहीं है कि लोगों को काम देना चाहिए, इसके लिए पृष्ठभूमि, धरातल, नींव भी तैयार की जा चुकी थी जिस पर 1977 में और उसके बाद 1985 में जो बेरोजगारों को काम देने की हमने पृष्ठभूमि बनाई थी, जो योजनाएं बनाई थीं वह विपक्षी सरकार ने नष्ट-भ्रष्ट कर दीं। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने अपने चुनावी

घोषणापत्र में यह वायदा किया था कि काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया जाएगा लेकिन आज भी यह देश गवाह है कि वोट की राजनीति करने के लिए देवीलाल को हटाने के बाद जो कि माननीय उपप्रधान मंत्री थे चाहे सरकार किसी की हो लेकिन वे उपप्रधान मंत्री दो-दो बार बने, उनको हटाया और उसके बाद जब किसानों की रैली दिल्ली में हुई तो उनको हटाकर मंडल कमीशन लागू किया। काम सबको मिलना चाहिए बेरोजगारी बहुत बड़ा पाप है। सारे अपराध बेरोजगारी में लगे खाली दिमाग की उपज होते हैं। जिस तरह से दिल्ली में और देश के प्रत्येक हिस्से में नौजवानों ने आग लगाकर आत्मदाह किया, भारत का भविष्य जिस तरह से तड़प उठा, हमें अपनी योग्यता के अनुरूप नहीं बल्कि जाति विशेष में उत्पन्न होने के कारण काम मिलेगा और हमारी योग्यता को एक तरफ रख दिया जायेगा, इस चीज को लेकर युवकों ने आग लगाई, आत्मदाह किया और आग लगाकर जो खून की छींटे गिरी हैं उससे विश्वनाथ प्रताप सिंह की भूतपूर्व सरकार बच नहीं सकती। विश्वनाथ प्रताप सिंह के चेहरे पर नौजवानों के खून के दाग आज भी चमक रहे हैं। बिना उसका प्रक्षालन किये वह राजनीति में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, वोट के लिए कुछ भी कर लें लेकिन जनता की अदालत में वह क्षमा नहीं किये जायेंगे। किसको क्षमा करना चाहिए? शासन में बैठे हुए हमारे दो सम्बद्ध मंत्री सुमन जी और वसई चौधरी जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वह अपने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करें। दिनकर ने अपनी कविता में कहा है :

क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसमें भरा गरल है, उसको क्या जो दंतहीन, विषरहित, विनीत सरल हो।

जिस तरह से इस राष्ट्र के साथ अपघात किया है, लुभावने नारे देकर कुछ समय तक भ्रम में रखकर देश को बर्बाद करने की कोशिश की है पिछली सरकार ने; उसके खमियाजे के लिए, उसको ठीक करने के लिए दशाब्दियां लग जायेंगी। इससे आप और हम अलग नहीं रह सकते। आपकी सरकार कांग्रेस के समर्थन पर चल रही है इसलिए जो गलत काम हुए हैं पिछली सरकार के द्वारा उसकी खुल कर निन्दा करनी होगी। उसके प्रति धिक्कार का प्रस्ताव पास करना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने केवल संविधान में काम के अधिकार की गारंटी नहीं दी है बल्कि सभी लोगों को काम देने का संकल्प किया और उसकी पृष्ठभूमि बनी थी, उसके लिए काम किया था, उसके लिए योजनायें बनाई थीं, ग्रामीण रोजगार योजना बनाई थी, जवाहर रोजगार योजना बनाई थी और बदले की भावना से भरकर जिस तरह से तहस-नहस किया गया यह उसी का परिणाम है। पहली बार इस देश में गांव सभाओं तक और मोहल्लों तक कारपोरेशन के माध्यम से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अधिकार सौंपा था कि अपना धन है, आप अपने क्षेत्र के लिए दिल्ली में योजना न बनायें, लखनऊ में योजना न बनायें बल्कि अपने क्षेत्र में बनायें, इसको भी पिछली सरकार ने तहस-नहस कर दिया। पिछली सरकार ने बदले की भावना से यह किया। उसका परिणाम जनता ने दिखा दिया। आपस में दो टुकड़े हो गये। एक जो सही टुकड़ा नेशनलिस्टों का था उसको समर्थन देने के लिए हमें विवश होना पड़ा। कांग्रेस के द्वारा जो बीज बोया गया था इस देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, वह अब लहलहाता पौधा बन चुका है, फल-फूल देने की स्थिति में है। सरकार को चाहिए कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, वी० पी० सिंह सरकार की तरह नहीं जिसका कि नाश हो गया था कमेटी बनाऊ सरकार, कमीशन बनाऊ सरकार कितने ही कमीशन, कितनी ही कमेटियां उस सरकार ने बनाईं। अगर उन सबको एक लाइन में रखा जाए और एक पन्ने पर लिखा जाए तो जितनी हाईट विश्वनाथ प्रताप सिंह की है उतनी ही कागज की लम्बाई हो जायेगी। इतनी कमेटियां, इतने कमीशन बनाये थे उस सरकार ने और एक का भी रिजल्ट आज तक नहीं आया। काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में डालने के लिए क्या समुचित प्रबन्ध किया जाए इस पर आप की सरकार सोचे तो सारे देश में जो राष्ट्रवादी, मानवतावादी हैं वे सब सपोर्ट करेंगे।

[डा॰ रत्नाकर पाण्डेय]

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि सभी बेरोजगारों को काम मिल जाए, जब तक काम न मिल जाए तब तक कम से कम 300 रुपये मासिक भत्ता आप देने की स्थिति में आयें, पांच वर्षों से अधिक के शिक्षित बेरोजगारों को कम से कम एक हजार रुपये मासिक भत्ता आप दीजिए, युवकों को अपने रोजगार के लिए प्रेरित करिये। उनका जो स्किल है, उनकी जो प्रतिभा है, देश में जो एक्सपर्ट है, देश में जो पारंगत है वे काम करें, उन्हें उस काम के लिए प्रशिक्षित किया जाए और प्रशासन की ओर से सुविधा मिले, सुगमता से उन्हें बैंकों की लालफीताशाही से बचकर ऋण देने की सुविधा उनके दरवाजे पर पहुंचे। जितने भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के कल-कारखाने और उद्योग हैं उनमें न्यूनतम मजदूरों को रखने की पाबन्दी लगाई जाये और जो डेली वेजेज पर और दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं उनकी छटनी न की जाये, इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। आपके मंत्रालय का इस संबंध में कानून बना हुआ है। मजदूरों की छटनी न की जाये, इसकी गारन्टी होनी चाहिए। प्रत्येक कारखाने की क्षमता का मूल्यांकन होना चाहिए। होता यह है कि आपकी लेबर मिनिस्ट्री का इंस्पेक्टर जाता है तो वह बड़े बड़े सेठों से प्रभावित होकर कारखाने का जो वेलफ़ेयर आफिसर रिपोर्ट देता है उसी को सही मान लेता है। इस तरह की घटनायें मेरे सामने आई हैं क्योंकि मुझे लेबर फ़ील्ड में काम करने का मौका मिला है और आज भी काम कर रहा हूं। कारखाने की जितनी क्षमता है उतनी भर्ती की जानी चाहिए और मजदूरों को सब प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिए। इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, हमारी शिक्षा प्रणाली क्लर्क बनाने का कारखाना बन गई है। बी०ए०, बी०काम और एम० ए० पास लड़के क्लर्क और चपरासी की नौकरी के लिए घूमते फ़िरते हैं। हमारे देश में बेसिक शिक्षा की बात होती है। शिक्षा सबके लिए सुलभ होनी चाहिए। शिक्षा रोजगार परख होनी चाहिए विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने शिक्षा को अनप्रोडक्टिव आइटम माना और हमारी सरकार ने 252 करोड़ रुपये के बजट से, हमारे नेता श्री राजीव गांधी ने इसको 12 सौ करोड़ किया। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने इसको काट दिया। आज सुबह भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री चिमनभाई मेहता बहुत बोल रहे थे। उन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई और उस पर 26 कमेटियों ने काम किया और बदले की भावना से उस पर राममूर्ति कमेटी बैठा दी गई। उस राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट आई, हम लोगों को भी भेजी गई। लेकिन दुःख इस बात का है उस पर आज तक अमल नहीं किया गया। एक कमेटी के ऊपर दूसरी और फिर तीसरी कमेटी बैठा दी गई। इस प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने शिक्षा का मखौल उड़ाया। हमारी जितनी भी योजनायें थीं, चाहे वह बेसिक शिक्षा की हो या प्रौढ़ शिक्षा की हो या सेन्ट्रल स्कूल खोलने की हो, ब्लेक बोर्ड आपरेशन की हो या हायर एजूकेशन की हो, उन पर काम नहीं होने दिया गया। उन योजनाओं की छिछलेदर कर दी गई। इससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा। इस तरह से आप सब हाथों को काम नहीं दे सकते हैं।

गृह एवं कृषि उद्योगों के निर्यात-वर्द्धक चीजों के उत्पादन के लिए विशेष जोर दिया जाये ताकि फ़ारन करन्सी मिल सके। गांवों के लिए और छोटे कारखानों में नई नई प्रौद्योगिकी, नई टेकनोलोजी अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाये। अभी स्थिति यह है कि बिजली आप दे नहीं पाते हैं और कच्चा माल भी नहीं दे पाते हैं। मैं चाहता हूं कि इनकी सप्लाई की गारंटी होनी चाहिए और सरकार का दायित्व है कि इनकी सप्लाई सुनिश्चित करे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं बनारस से आता हूं। वहां पर हथकरघे से साड़ियां बनाई जाती हैं, गलीचे बनाये जाते हैं जिनसे साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लेकिन

लोगों को रेशम नहीं मिलता है। कुछ कोग्रापरेटिव बनाये हुए पूंजीपतियों के दलालों को ही रेशम मिलता है। रियल उत्पादक को आवश्यक वस्तुयें नहीं मिल पाती हैं। सोशलिज्म की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं और बड़े-बड़े सुधारों की बात की जाती है और बड़े-बड़े रिवोल्यूशंस की और क्रांति की बातें की जाती हैं, परिवर्तनों की बात की जाती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली से ही उत्पादन होता है और कच्चे माल की सप्लाई की गारंटी सरकार दे। स्वरोजगार की शिक्षा आकाशवाणी और दूरदर्शन से जैसा यू जी०सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा की नीति चलाता हैं, उसी तरह से स्वरोजगार की शिक्षा पर आप अच्छे-अच्छे कैसेट और कार्यक्रम लिखित और प्लान बनाकर करें। इसके लिये पंचवर्षीय योजना बनायें और वे प्रदर्शित हों और उनके आकाशवाणी पर अच्छे ढंग के कार्यक्रम आयें। भारत शिल्प कला में विश्वविख्यात था। कहीं का लकड़ी का खिलौना मशहूर था, कहीं की साड़ियां मशहूर थीं, कहीं की टोकरियां मशहूर थीं, कहीं की आयल पेंटिंग मशहूर थीं, ये सब दिनों दिन तिरोहित होती जा रही हैं। कुटीर उद्योगों की तरफ आंख मूंद लिया गया है। नुमाइश लगा करके कुटीर उद्योगों की चीजों को दिखाने के दिन आ गये हैं, जब कि गांधी जी ने कुटीर उद्योगों पर ही ध्यान दिया था। बड़े-बड़े उद्योगों की स्पर्धा में, चीजों में ड्यूरेबिलिटी हो लेकिन अपना शिल्प, अपनी कला, अपनी भारतीयता, अपनी मौलिकता का जो हजारों वर्षों से सृजन किया गया है, हमारे पुराने कलाकारों द्वारा, हमारे चित्रकारों द्वारा और हमारे शिल्पियों और साड़ी के डिजाइन बनाने वाले डिजाइनरों ने जो यह सब किया है उसका क्या होगा? क्या वह चिमनी के धुयें में, जो मिल से बनने वाला कल-कारखानों का कपड़ा है, उसका जो उत्पादन है, प्रिंटिंग है, उसमें विलीन हो जायेगा? क्या कला का आप मशीनीकरण करना चाहते हैं। कला जिस देश की मर जायेगी, उसका औद्योगीकरण निष्फल होगा। इसका लाभ बहुराष्ट्रीय जो देश हैं उनको मिलेगा। इससे भौतिकता तो मिलेगी, अर्थ, धर्म, काम, और ड्रिंक एंड बी मैरी, यह तीनों मिलेगा लेकिन मोक्ष वहां नहीं मिलेगा। जब तक मोक्ष की कामना नहीं कर सकते तब तक इस देश में जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं उनको जातियों में मत बांटो। गरीबी और अमीरी दो जातियां हैं। अमीर-अमीर की जाति का है और गरीब-गरीब की जाति का है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, रोजगार आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आप गरीबी रेखा से नीचे जिंदा रहने वालों और अमीरी की रेखा से ऊपर रहने वालों का एक सम्मिलन नहीं करते। अगर ऐसा नहीं करते तो कहीं बड़े-बड़े उद्योगों, बड़े-बड़े जमींदारों के चंगुल में फंसकर हमारा संविधान न रह जाये। गरीबों को जो कुछ हम देना चाहते हैं वह अगर हम उनको नहीं दे पायें तो यह स्थिति बड़ी ही दयनीय और दुखद होगी। भारतीय संविधान शोषक के प्रति कभी सदाशय नहीं रहा है। बल्कि जिनका शोषण होता है उनको शोषण से मुक्त कराने का आह्वान हमारे संविधान में हैं। जिस तरह से बेरोजगारी, वृद्धावस्था की बीमारी, अयोग्यता बेकारी एवं अपराध बढ़ रहे हैं उसके पीछे आर्थिक क्षमता के विकास की सीमा हैं और रोजगार का अधिकार न मिलना, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति गारंटी न मिलना इसमें ये चीजें बहुत ही प्रभावशाली महत्व रखती हैं। काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लागू कर देना संविधान में अच्छा है लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को आप किस रूप में करेंगे? प्रचार करके, जनता को भरमा करके विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि हम काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में दे रहे हैं। लेकिन यह सारा टांय टांय फिस हो गया और उस आदमी ने कुछ नहीं किया। उसने देश की 85 करोड़ जनता को मूर्ख बनाया और काम के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं बनाया। आज हालत यह है कि 32 करोड़ की श्रम शक्ति में से 3.3 करोड़ युवा बेरोजगार हैं जिन्होंने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करा रखे हैं। इसके अलावा जो श्रमिक हैं, श्रम

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

रोजगारों में जिनका नाम है उनमें से 64.6 प्रतिशत और क्षेत्र में कार्यरत हैं जिनकी संख्या 20 करोड़ के आसपास निर्धारित होती है। इनमें से दस करोड़ के पास जमीन है और शेष दस करोड़ के पास कुछ भी नहीं है। जिनके पास जमीनें हैं उनमें से 60 प्रतिशत सीमांत कृषक हैं, जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि 6 करोड़ लोगों के पास केवल अल्प रोजगार उपलब्ध है। यदि सही बात की जाए तो 3.3 करोड़ शिक्षित बेरोजगार, 10 करोड़ भूमिहीन श्रमिक और 6 करोड़ अल्प रोजगारशुदा सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद रोजगार हमें और आपको मिल कर जुटाना होगा नहीं तो जनता का विश्वास आप से तो उठ ही रहा है, हम से भी उठेगा अगर हमने अधिकार नहीं दिया (**व्यवधान**) यह हंसने की बात नहीं है। देसाई चौधरी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की हालत आप देख रहे हैं। इस सदन में जो कहा जाता है वह पूरी निष्ठा और संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से कहा जाता है। तो उसको किस रूप में आप दे सकते हैं इस पर आपको सोचना होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : पाण्डेय जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। 16 सदस्य इस पर बोलने वाले हैं। आपको मैं रोकने वाला नहीं हूं मगर और लोगों को भी चांस मिले तो अच्छी बात है। बोलिये।

श्री विठ्ठल राव माधव राव जाधव : (महाराष्ट्र) : दूसरों का राइट टू स्पीक मत छीनिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : प्राइवेट मैम्बर्ज का मैं कभी भी राइट छीनने वाला नहीं हूं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : योजना आयोग ने तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष रोजगार का लक्ष्य रखा है और उसके हिसाब से 65 से 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान आठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया है ताकि पूर्ण रोजगार का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यह बड़ा आशावादी स्वप्न है और स्वप्न देखने में हमारा विश्वास नहीं है। इसे यथार्थ के धरातल पर आप उतारिये। पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, मैं जानता हूं मिनिस्टर अपनी अनुदान मांगों को ले कर जाते हैं और उन्हें टका सा जवाब दे दिया जाता है कि इतनी निर्धारित धनराशि है इसी में आपको करना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारे मूलभूत अधिकारों से संबंधित है। इस में योजना आयोग को बीच में बाधक नहीं बनना चाहिये। 20 करोड़ लोगों के लिए पूर्ण रोजगार के लिए एक साल में 250 दिन 15 रुपये प्रति दिन के हिसाब से यदि खर्च करें तो 65 से 75 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। वी. पी. सिंह और ताऊ ने जब कर्जा माफी की बात की तो यह कहा कि यह 11 सौ 12 सौ हजार करोड़ का मामला है। इससे सारी बैंकिंग व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। उसको ले कर गलत ढंग से इम्पलीमेंटेशन किया गया तो 75 हजार करोड़ रुपया हम कहां से लाएंगे यदि हर हाथ को हम काम देना चाहते हैं। इस प्रकार से 15 रुपये प्रति दिन के हिसाब से 250 दिन का खर्च 3750 रुपये प्रति वर्ष आता है। जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों को ऊपर उठाने के लिए निर्धारित 6400 रुपये के अनुमान से बहुत कम है। मान्यवर, रोजगार केवल आर्थिक विकास और उत्पादकता के माध्यम से ही पैदा किये जा सकते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि नयी तकनीक से उत्पादकता में तो बढ़ोत्तरी होती है लेकिन वह बेरोजगारी पैदा करती है। मशीन हाथों को काम देने पर नियंत्रण कर देती है। लोग बेरोजगार होने लगते हैं। विकास की दर तो बढ़ जाती है माडर्न टेक्नोलोजी से लेकिन सम्पूर्ण आर्थिक उन्नति की गारंटी आप बेरोजगारों को नहीं दे सकते हैं। शिक्षित बेरोजगारों में बड़ा भारी असंतोष है। उसका उदाहरण आग लगा कर मरने वाले नौजवानों का मैंने आपको दिया है। हमारी सब से

बड़ी ताकत श्रम शक्ति को आज प्रिजर्व करना मुश्किल हो गया है। सरकार श्रम शक्ति के नियोजन में असफल रही है। शिक्षित बेरोजगारों की शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 50 प्रतिशत से अधिक स्नातक ऐसे हैं जो टेबल कुर्सी के इलावा सदूरी नौकरी नहीं कर सकते हैं, क्लर्क बन कर रह गये हैं, दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उच्च टेक्नोलोजी पर आधारित कुर्सी वाली नौकरी हो गई है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि भारत में 80 प्रतिशत जनता कृषक है और 10 प्रतिशत लोग उद्योगों में लगे हुए हैं वहां केवल किताबी शिक्षा दी जाए तो यह एक बहुत बड़ा अपराध है। गांधी जी का नाम तो हम लेते हैं और उनकी जन्म तिथि और पुण्य तिथि बड़ी शान से मना लेते हैं लेकिन गांधी जी ने जो कहा ठीक उसके विपरीत हम काम कर रहे हैं। इस तरह की शिक्षा से जो हमारी नयी पीढ़ी के लड़के लड़कियां हैं बाद में जब शिक्षित हो जाते हैं तो उनका जो शारीरिक कौशल है, शक्ति है, स्किल है प्रतिभा है, काम करने की विशेष रुचि है उसमें वे अनुपयुक्त हो जाते हैं। श्रम का महत्व बचपन से ही हमें अपने आने वाली पीढ़ियों और वर्तमान पीढ़ी को समझाना होगा।

मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कालेजेज हैं जहां से धुंआधार ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। देश में जितने भी ग्रेजुएट्स निकालने के कारखाने, स्कूल कालेजेज हैं अगर उनमें लगने वाली धनराशि आई०टी०आई० या पोलीटेक्निक जैसी संस्थाओं को खोलने में लगायी जाये या जो भारत के कुटीर उद्योग हैं उनसे संबंधित संस्थाएं और निर्मित की जाएं तो कुछ बेरोजगारी का हल निकालने में हम सफल हो सकते हैं।

... हाई स्कूल पास करने के बाद आदमी के पास कोई न कोई चिकित्सा का डिप्लोमा होना चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य सेवा गांवों में कर सकें इसके लिए औषधि संबंधी प्राथमिक ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। एम०बी०बी एस० या अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए एलोपैथी के डाक्टर्स गांवों में रहने को तैयार नहीं हैं, वे शहरीकृत या विदेशीकृत हो गये हैं। इंजीनियर्स की भी यही हालत हो गयी है। वे विदेशों में या शहरों में काम करना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। इसलिए जो शिक्षक हैं, वेटिरनरी फील्ड के सहायक हैं, कंपाउंडर्स हैं और जो उनके साथ काम करने वाले हैं उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षित कर दिया जाए ताकि कम से कम चिकित्सा के क्षेत्र में वे कुछ काम कर सकें।

हेराल्ड लास्की ने कहा था कि काम का अधिकार व्यक्ति के सबसे प्रमुख अधिकारों में से एक है। इस अधिकार से वंचित करना मनुष्य को अंधेरी गुफा में ढकेलना है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के चार्टर्ड की धारा 21(1) में काम के अधिकार को मान्यता देते हुए कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को काम का अधिकार और रोजगार चुनने की स्वतंत्रता होती है काम की न्यायिक और अनुकूल परिस्थितियां और बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 26 में काम के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। जर्मनी के संविधान में भी नागरिकों को काम का अधिकार प्रदान किया गया है। आयरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन में भी काम के अधिकार की सुरक्षा है। बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी है। भारतीय संविधान के अध्याय 4 के नीति निर्देशों के अनुच्छेद 41 में काम के अधिकार को स्पष्ट रूप से समाविष्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में देश में असंख्य बेरोजगारों को रोजगार मिले। स्वतंत्रता के 4 दशक के बाद भी लोगों को जिस देश में स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही है, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है और शिक्षा की बात तो दूर अधिकांश लोग अशिक्षित पड़े हुए हैं, साफ वस्त्र नहीं मिल रहे हैं, शुद्ध इन्वायरनमेंट नहीं मिल रहा है वहां हर हाथ को काम देने की बात एक बड़ा भारी मौलिक

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

प्रश्न है और इसको हल करने के लिए केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना होगा। जो वालंटियर आर्गेनाइजेशंस है जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, सेठ हैं क्या किसी में हिम्मत है—43 साल में किसी ने हिम्मत की, जिस तरह से जमींदारी उन्मूलन किया गया उसी तरह से जितने भी इस देश में धन पशु हैं चाहे वे राजे रजवाड़े के लोग हों चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हों चाहे भ्रष्टाचार से बेहद धन कमाए हुए सफेदपोश लोग हों उनके सारे धन को जब्त करो और जैसे 18 एकड़ तक जमीन रखने का अधिकार आपने जमींदारी उन्मलन के तहत दिया है, राजाओं के प्रिवीपर्स को बंद किया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है उसी तरह से एक झटके में, अगर समाजवादी बहुत बड़े बनते हैं चन्द्रशेखर जी, जो प्रधान मंत्री हैं, "अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दण्ड देना धर्म है" चन्द्रशेखर जी विश्वनाथ प्रताप सिंह के मोह से बचें और हर हालत में धन सम्पत्ति रखने की एक सीमा निर्धारित करें। यह संसद के दोनों सदनों में लाया जाए। और अच्छा हो कि इसी सत्र में लायें, जिससे बेरोजगारी मिटे और इस देश की आने वाली पीढ़ियां आतंकवादी न बनें। इस देश के आने वाले लोगों के हाथ में—सत्यमेव जयते—का यदि मेरा नारा है, कर्मेव जयते का यदि मेरा नारा है, सत्यमेव जयते यदि हमारा मोटो है, अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो प्रत्येक हाथ को काम देना होगा और यह तब तक संभव नहीं है, जब तक समाज में विषमता की स्थिति रहेगी। (घंटी)।

विषमता की स्थिति को समाप्त करना होगा और उस समाप्ति के साथ ही समन्वित ग्रामीण विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना, जिनको वी० पी सिंह ने अंग-भंग कर दिया था, उनको पुनः योजना आयोग से स्वीकृत करवा कर जो बैकलाग आया था उसमें, उसको चालू करने की जरूरत है, ताकि एक सीमा तक सिंचाई के माध्यम से, खेती के माध्यम से और मजदूरी के माध्यम से लोग काम पा सकें और जब तक आप शिक्षित बेरोजगारों को काम नहीं देंगे, जब तक आप श्रम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं करेंगे, तब तक आपकी योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पायेंगी।

अंत में, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपका आदेश है कि मैं समाप्त करूं। पर समाप्त करने से पूर्व इस सदन के भूतपूर्व सदस्य और विश्वविख्यात राष्ट्रीय हिंदी कवि, दिनकर जी ने जो श्रमिकों के विषय में कहा है, उससे मैं अपने भाषण का अंत करना चाहूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि जो विचार मैंने रखे हैं, उसमें विशेषतः जो आर्थिक शोषण करके, समाज का शोषण करके, गरीबो का खून पी कर के, जिनको काम मिलना चाहिए, उन हाथों का रोजगार छीन कर के सम्पत्ति बटोरे हुए है, उनकी सम्पत्ति का बंटवारा होगा और यही कम्युनिस्ट भी चाहता है और हमारे पुराने सोशलिस्ट प्रजा समाजवादी चन्द्रशेखर जी प्रधान मंत्री है । Chariiy begins at home. वह स्वयं अपनी सम्पत्ति से इसकी शुरूआत करें—कि हम एक हाथ को भी बिना काम के नहीं रहने देंगे। वह एक सम्पत्ति की सीमा रेखा निर्धारित करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, दिनकर जी ने जो कहा है, मैं उसे कहना चाहूंगा—

हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान।

श्रेय वह नर-बुद्धि का शिवरूप आविष्कार
ढो सके जिससे प्रकृति सबके सुखों का भार।

मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाये,

सुख-समृद्धि-विधान में नर के प्रकृति झुक जाये।

श्रेय होगा मनुज का समता-विधायक ज्ञान,

स्नेह-सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण।

एक नर में अन्य का निःशंक: दृढ़ विश्वास,
धर्मदीप्त मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास
समर शोषण, ह्रास की विरुदावली से हीन,
पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध, मलीन
मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोष,
छलकता होगा सभी नर का जहां संतोष।
युद्ध की ज्वर-भीति से हो मुक्त,
जब कि होगी, सत्य ही, वसुधा सुधा से युक्त।
श्रेय होगा सुष्ठु-विकसित मनुज का वह काल,
जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल।

श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निर्बन्ध,
मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित सम्बन्ध।

आज यहां सबंधों डोकोजने की जरूरत है और दिनकर जी की यह वाणी स्मरण रखिये, आपकी सरकार को स्मरण रखनी चाहिए और चन्द्रशेखर जी को स्वयं अपनी सम्पत्ति का—एक निर्धारित करके प्रधान मंत्री को सोशलिज्म की उदाहरण देनी चाहिए और कानून बनाना चाहिए। (घंटी) जिनकी सम्पत्ति एक सीमा रेखा से अधिक है, उसको जप्त करके, चाहे वह प्रधान मंत्री हो, चाहे भूतपूर्व प्रधान मंत्री हो, एक सामाजिक व्यवस्था की स्थिति लानी चाहिए और हमारे मित्र संजय सिंह घोषणा करें कि यह सारा सम्पत्ति अमेठी को देंगे। तब जाकर समाजवाद आएगा, नहीं तो मिनिस्टर तो आप बन जायेंगे, समाजवाद के नाम पर यह सुशोभित नहीं होगा। बेरोजगारों को काम मिलेगा—मैं विश्वास करता हूं कि जैसे टेलीफोन की घोषणा आपने की थी कि आप एम.पीज. को देंगे, उसी तरह आप अपनी सम्पत्ति राष्ट्र को देने की घोषणा करेंगे।

धन्यवाद।

The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkhar) in the Chair.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): I very much appreciate your feelings. I am asking you a clarification. Dr. Pandey, please reply to me. I am asking you a clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Kulkarniji, please address the Chair, not Dr. Ratnakar Pandey.

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : मैं डा० रत्नाकर पाण्डेय जी को यही पूछ रहा हूं कि उन्होंने जो संस्कृत श्लोक पढ़ा वह बड़ा अच्छा पढ़ा और वह जो आशा करते हैं कि सब लोग अपनी सम्पत्ति का स्टेटमेंट दे देंगे तो उसी से हम बहुत खुश होंगे। .... (व्यवधान) पाण्डेय जी, सुनिए तो, क्या देखते हैं उधर बात करते हैं। मैं पाण्डेय जी से यह पूछता हूं,

Through you, Mr. Vice-Chairman, I want to ask him whether he has found during the last ten, fifteen years anybody doing that.

घोषणा तो बहुत करते है समाजवाद की करते हैं, वैल्यू बेस्ड पोलिटिक्स की करते हैं और कोई वैल्यू नहीं है, चेयर बेस्ड पालिटिक्स है।

श्री मोहम्मद अफ़ज़ल उर्फ मीम अफ़ज़ल (उत्तर प्रदेश) : फ़ार्म बेस्ड पालिटिक्स।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : तो यह परिस्थिति से पाण्डेय जी को मैं यह कहना चाहता हूं कि पाण्डेय जी पालिटिक्स मसलमैन और बदमाशों का नुक्सेस बना है वह कैसे तोड़ेंगे, वह बोलिए?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जब बेरोजगारों को रोजगार का अधिकार मिल जाएगा तब हो जाएगा। जो बेरोजगार हैं वही मसल-पावर की बात करते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Pandeyji, you need not reply to it.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए जो अवसर दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं इस विधेयक पर बोलते हुए आंकड़ों पर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पूर्व वक्ता माननीय श्री रत्नाकर पाण्डेय जी ने काफी आंकड़े उपस्थित किए और उसके पहले मूरर महोदय ने भी काफी आंकड़े उपस्थित किए। मैं केवल कुछ अहम मुद्दों पर आपके माध्यम से मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, हमारे पुराने साथी हैं सुमन जी, आज जरूर राह भटक कर अपने दल को तोड़ कर जाकर मंत्री बने बैठे हैं, इनकी यह प्रतिबद्धता तो थी नहीं लेकिन नए परिवेश में नई प्रतिबद्धता हो गई, वह बात तो खैर सामने है, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। महोदय, मुझे याद है कि स्वतंत्रता के कुछ दिन बाद हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चलनी शुरू हुई और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर हम 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल तक पहुंच रहे हैं। योजना का काम यह होना चाहिए कि हमारे देश में टोटल मैन पावर क्या है और उसको हम किस ढंग से काम में लगायेंगे जो नए हाथ बाजार में आयेंगे 18 साल के उम्र के लोग जो काम के बाजार में आयेंगे उनका इस्तेमाल हम किस ढंग से करें इसका एक प्रावधान लेखा-जोखा होना चाहिए। लेकिन अफ़सोस यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से ले करके जितनी योजनाएं बनी 8वीं पंचवर्षीय योजना को छोड़ दीजिए आप अगर किसी भी पंचवर्षीय योजना के क्रम में यह नहीं कहा गया कि हमारे पास इतने बेकार नौजवान काम के बाजार में आयेंगे उनके लिए काम का प्रावधान करना होगा, यह नहीं कहा गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जब शुरू किया था राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने अब किया था हम लोगों ने जरूर इसके बारे में चिंता प्रकट की और कुछ रास्ता अपनाने का तय किया था। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कुछ लोगों ने कुछ बातों को हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मुझे याद है 1967 की बात, सुमन जी उस वक्त मेरे साथी थे। हम लोग समाजवादी युवक सभा नाम की एक संस्था चलाते थे। मैं उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा थी। इसी संसद के बाहर हम लोगों ने धरना दिया था, मोर्चा निकाला था और उसके बाद हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल उस वक्त की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलने के लिए आया था। जब मिलने को आये, उनसे जब बात होने लगी हम लोगों ने जब मैमोरेंडम दिया . . . तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं इस देश में कितने बेकार हैं? उन्होंने कहा कि मोहनलाल दातवाला कमेटी इस देश के अनएम्प्लाइड लोगों का लेखा-जोखा निकालने के लिए बिठायी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश में चूंकि तकनीकी शिक्षा बढ़ गयी है, इसलिए बेकारी बढ़ गयी है। मुझे बहुत आश्चर्य लगा। आज इंदिरा जी नहीं हैं, उनके बारे में, उनके गुजर जाने के बाद कुछ कहना उचित नहीं है लेकिन जब कोई देश का प्रधान मंत्री बनता है कुछ काम करना है और जब जाता है तो अपना काम छोड़कर जाता है, अपनी नीति और सिद्धांत छोड़कर जाता है, उसका उदाहरण हमें मजबूरन देना पड़ रहा है। महोदय, हम लोगों ने कहा था कि शिक्षा के कारण, विशेषकर तकनीकी शिक्षा के कारण देश के विकास का एक नया रास्ता खुलता है, देश की प्रगति की नई दिशा खुलती है। इसलिए जहां तकनीकी शिक्षा बढ़ जाये वहां बेकारी बढ़ जाये, यह बहुत आश्चर्य की बात है।

महोदय, आज हमारे सामने क्या स्थिति है हमारे पूर्वतन वक्ताओं ने कहा कि लोगों को काम मिलना चाहिए, लेकिन जो रोजी-रोजगार में लगे हुए थे ऐसे लोग बेकार हैं। 2 लाख कल-कारखाने आज की तारीख में इस देश में बंद पड़े हुए हैं। श्रम मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि उनको खुलवाने के लिए वह क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग जिनके हाथ में काम था, आज उनके पास काम नहीं है, वह काम से बाहर हैं। क्यों नहीं आप उनको रोजी-रोजगार दिलाने के लिए उन कारखानों को खुलवाने का उपाय करते? श्रीमान् राजीव गांधी जब प्रधान मंत्री थे. उन्होंने कहा था कि हम सिक मिल्स को

नहीं लेंगे, जो कारखाने बीमार हो गए हैं, उनका अधिग्रहण हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाये। कुछ बंद कारखानों की समस्या को लेकर जिसमें रोहतास उद्योग समूह भी है जिसके बारे में अहलुवालिया जी को बहुत अच्छी तरह से जानकारी है, उसके 15 हजार लोग साल साल से बेकार थे। उनके परिवारों को मिलाकर और दूसरे ऐसे लोग मिलाकर पांच जिलों की अर्थ नीति प्रभावित थी। हम लोगों ने बारंबार उस सवाल को उठाया, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। सिर्फ एक दलील दी गयी कि बंद कारखाने हम नहीं खुलवाएंगे। आज दो लाख कल-कारखाने बंद पड़े हैं। आप नए रोजी-रोजगार दिलाने के पहले, उनको तो खुलवाइए। आप अपने नाम के पीछे समाजवादी शब्द लगाए बैठे हैं, तो नया कुछ करके दिखाइए।

महोदय, हमारे पूर्ववक्ता वक्ता पाण्डेय जी काशी से आते हैं। वहां विश्वनाथ का निवास है, इसलिए बिना विश्वनाथ प्रताप का नाम लिए उनका गुजारा नहीं होता। वह जो कुछ बोलते हैं, हर दूसरी लाइन में विश्वनाथ-विश्वनाथ करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : उन्होंने उसका वायदा किया था। उनके फ्राडुलेंट एटीट्यूड का विरोध किया है।

श्रीमती कमला सिन्हा : विश्वनाथ का नाम आपको लेना चाहिए, आप काशी के रहने वाले हैं, मैं तो इतना ही कह रही हूं। महोदय, मैं इतना कहना चाहती हूं कि जब नेशनल फ्रंट की सरकार बनी और जब जनता दल ने अपना चुनाव-घोषणापत्र बनाया था तो उसमें लिखा था कि हम रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ेंगे। इसकी भी पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहती हूं कि 25-3-88 को हिंद मजदूर सभा, जिसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, ने 5 लाख लोगों की दिल्ली में संसद के सामने प्रदर्शन किया था जिसमें कि नौजवान बेकार लोग थे। हम लोगों ने डिमांड की थी कि रोजगार के अधिकार को मौलिक-अधिकार में जोड़ा जाना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि संविधान में जोड़ने से ही सब को रोजगार नहीं मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने क्यों यह डिमांड की थी। जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में इसको रखा था क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकार की सूची में रोजगार के अधिकार को जोड़ने के कारण सरकार की प्रतिबद्धता हो जाती है। इस देश के चार-पांच करोड़ नौजवान, जो बेकार हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष की है, जो पढ़े-लिखे शिक्षित, अर्ध-शिक्षित, अशिक्षित हैं, ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हो जाती है कि सरकार उनको रोजगार मुहैया कराने की दिशा में काम करे इसलिए हम लोगों ने इसको रखा था। अहलुवालिया जी, आज जो आप यह विधेयक ले आए हैं, मैं इसका समर्थन भी कर दूंगी, लेकिन मुझे मालूम है कि यह विधेयक पास नहीं होगा क्योंकि प्राइवेट बिल अमूमन पास नहीं किया जाता, टोण्ड talked out हो जाता है। पास होना नहीं है, मैं जानती हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) **:** हो सकता है, अगर अहलुवालिया जी की पार्टी चाहे तो।

श्रीमती कमला सिन्हा : वह तो दूसरी बात है। मैं यह कह रही थी कि हमारी सरकार अगर आज रहती तो इसी सत्र में, इसी बजट सत्र में यह विधेयक लाया गया होता और इस देश के करोड़ों नौजवान, जो आज सड़क पर हैं, जिनके हाथ में काम नहीं है, जो हमारे देश का वर्तमान हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, जिनके हाथ में हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है, ऐसे लोगों के मन में एक आशा की किरण फूटती, एक नई रेखा खिंच जाती, एक नई दिशा मिलती क्योंकि तब सरकार की प्रतिबद्धता होती कि उनको काम दें, काम नहीं दे सकते हों तो निजी काम के जरिए उनको खड़ा करें। ठीक है, सरकार हर किसी को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार मुहैया हो, इसका तो उपाय कर सकती है, न!

महोदय, सुमन जी जब हमारे साथ

[श्रीमती कमला सिन्हा]

काम करते थे, हम लोग इस देश के नौजवानों का आंदोलन करते थे, समाजवाद के लिए, नौजवानो का आंदोलन करते थे, तो हम लोगों ने बार-बार कहा कि इस देश से बेकारी दूर करने का एक बहुत ही बड़ा रास्ता हो सकता है और वह यह कि इस देश में स्माल और मीडियम इंडस्ट्रीज खोली जाएं। इस देश में प्रथम, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में बड़ी-बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज खोली गईं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज खोली गईं, मैं इसके बारे में कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन हमारे देश के पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज से जिस चीज की उम्मीद की थी, कोर इंडस्ट्रीज को बढ़ाया था इस उम्मीद में कि हमारा देश एक जमाने में आगे चलकर दुनिया के औद्योगिक नक्शे पर आ जाएगा और वह आ तो गया, हिंदुस्तान आज दुनिया में दसवां औद्योगिक देश है, टेन्थ मोस्ट इंडस्ट्रलाइज्ज कंट्री इन द वर्ड, वहीं आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेकार हैं, सबसे ज्यादा भूखे लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान के दो-तिहाई लोग गांव में बसते हैं, जहां बिजली नहीं, पीने को पानी नहीं, चलने को सड़क नहीं और हम चले हैं ऐसे घर के नौजवान को रोजगार मिले उसके बारे में चर्चा करने को। मुझे याद है, जयप्रकाश नारायण ने अपने आश्रम में एक सेमिनार बुलाया था बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों का और संयोग की बात मैं भी वहां पहुंची हुई थी। उस समय हम लोगों ने सुना, बड़े-बड़े अर्थवेत्ता थे, डा ज्ञान चंद थे, मोहनलाल दांतवाला थे, आचार्य कृपलानी थे और भी अनेक लोग थे, उसमें चर्चा हुई कि इस देश के बेकारों को रोजी-रोजगार कैसे मिले, सबके हाथ में काम कैसे मिले, तो यह तय पाया गया कि अगर मझोले किस्म के उद्योग, कृषिजनित उद्योग, कृषि पर आधारित उद्योग खोलेंगे तो हम देश में रोजी, रोजगार का एक जाल बिछा सकेंगे, गांव से लेकर शहर तक।

उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी भी शहर में चले जाएं तो देखते हैं कि माइग्रेशन आफ लेबर, माइग्रेशन आफ पीपुल हो रहा है, लोग गांवों से शहरों में आ रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में अगर छोटे-छोटे उद्योग हम खड़े करवा देते तो गांव के लोग शहर में नहीं आते और न ही शहरो में इस तरह की माइग्रेशन आफ लेबर की समस्या देखने को मिलती। शहरों में सिर के ऊपर झोपड़ी नहीं, छत नहीं, रहने की जगह नहीं। मैंने अखबार में पढ़ा था कि दिल्ली का कोई पार्क, वह लेवेटरी बना हुआ है।....तो दिल्ली का पार्क अगर लेवेटरी बनता है तो अखबार में आता है, लेकिन पटना की गंगा जब लेवेटरी बनती है तो किसी की आंख में वह नहीं गड़ती और ग्रामीण अंचल में जब सारे लोग मजबूर होकर नारकीय जीवन जीते हैं, बिना स्वच्छ पानी के रहते हैं तो वह किसी की आंख में नहीं चढ़ता। महोदय, सवाल है दृष्टिकोण का। हम कैसा हिन्दुस्तान बनाने चले थे? राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि ग्राम स्वराज बनाओ। ग्राम स्वराज्य का मतलब यह नही था कि प्रत्येक ग्राम को स्वराज्य मिल जाए, ग्राम स्वराज्य का मतलब यह था कि आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक ग्राम को स्वाधीन बना दो ताकि वह किसी के ऊपर आश्रित न हो। यह काम 43 साल में भी नही हो सका। गांधी जी की तस्वीर हम जरूर टांगते हैं दफ्तरों में, नाम जरूर लेते हैं लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते नही हैं और शासन चलाने का तो.... (**समय की घंटी**) ..आप ही लोगों को श्रेय है....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): How much time will you take?

SHRIMATI KAMLA SINHA: Five to seven minutes.

तो महोदय, आप लोगो ने ही 40 साल तक शासन चलाया इस देश में, दूसरे लोग तो दो-तीन साल के लिए आए। इन चन्द्रशेखर जी को तो मैं मानती हूं कि आपके ही इशारे पर चलना है। 50 लोगों को लेकर सरकार क्या चलाएंगे। आप जो कहेंगे वही करना है, अपनी बात तो कर नहीं सकते। तो इनकी सरकार को तो मैं सरकार मानना चाहूं तो भी नही मान सकती क्योंकि कोई नीतिगत परिवर्तन यह

सरकार करेगी, यह संभव नही है। हमारे साथी श्रीधरन् जी ने ठीक ही कहा "Beware of the Ides of March" 18 मार्च आते-आते क्या होगा, पता नहीं। हमारे सुमन जी बैंच पर रहेंगे या सड़क पर होंगे, पता नहीं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : हम आपके पास आ जाएंगे चिंता मत कीजिए।

श्रीमती कमला सिन्हा : हमें तो खुशी होगी। तो मैं यह कह रही थी कि कृषि पर आधारित छोटे-छोटे उद्योग ग्रामीण अंचलों में, छोटे-छोटे कस्बो में आप अगर खुलवाएं तो बहुत लोगों को काम मिलेगा, रोटी-रोजगार मिलेगा। लेकिन ऐसे उद्योगो को खोलने के लिए मैं जानती हूं कि बिजली नहीं है, बिजली के बगैर कल-कारखाने चल नहीं सकते। आज खाड़ी युद्ध के कारण हमारे पास डीजल भी उपलब्ध नहीं है। तो डीजल या बिजली के बगैर अगर कोई तकनीकी उपाय हो सकता है जिससे छोटे-छोटे उद्योग चलाए जा सकें और आवश्यक हो तो मैन्यूअल लेबर से ही चलें, इसकी तरफ भी आपको सोचना चाहिए। जिसको कन्वेंशनल एनर्जी कहा जाता है, ऐसी एनर्जी का उत्पादन करके भी इसको किया जाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले इसी संदर्भ में कुछ लोगों से बात हो रही थी तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि कुछ विकासशील देशों में डेयरी फार्म होते हैं एक साथ 100, 200, 500 एकड़ खेती में और इनमें लोग गाय पालते हैं और उससे जो गोबर मिलता है उससे बिजली पैदा करते हैं। मैं नहीं जानती, यह तकनीकी क्षेत्र है, लेकिन जिन्होंने देखा, ऐसे सज्जन मुझे बता रहे थे। अगर यह संभव हो तो आपको भी उस पर अमल करना चाहिए और उससे छोटे-छोटे उद्योग चल सकते हैं या नहीं, यह देखना चाहिए।

एक बात मैं और ग्रामीण अंचल के बारे में कहना चाहती हूं। हमारा देश कृषि पर आधारित देश है और कृषि का काम मुश्किल से 6 महीने होता है, शेष 6 महीने के लिए ग्रामीण अंचल में कोई काम नहीं होता यानि 70 फीसदी हिन्दुस्तानियों के हाथ मे उस वक्त कोई काम नहीं होता और उनमें जो भूमिहीन खेत-मजदूर हैं, जो दूसरे की जमीन पर आश्रित हैं, ऐसे लोग भूखों मरते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है पूर्णिया के इलाके में, ग्रामीण अंचल के लोगों को चिड़चिड़ीया घोंघा खाते हुए। तो यह परिस्थिति है। इन परिस्थितियों से लोगों को उठाने के लिये, उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिये आप लोगों ने कुछ सोचा है?

5 P.M.

महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है—एंप्लोयमेंट गारंटी स्कीम। मिनिमम एम्प्लोयमेंट गारंटी स्कीम। मिनिमम एम्प्लोयमेंट गारंटी स्कीम पूरे देश में लागू करना चाहिये, सुमन जी। मिनिमम एम्प्लोयमेंट गारंटी स्कीम पूरे देश में लागू करना चाहिये कानून बनाकर, लां बनाकर पूरा करना चाहिये। इसमें होता क्या है? ग्रामीण अंचल में भूमिहीन खेत मजदूर काम करता है। ब्लॉक में उसकी लिस्ट बनी हुई होती है। उसके हाथ में जब काम नहीं रहता है तो ब्लोक में जाकर वह बताता है कि आज इस अंचल में कोई काम नहीं, मैं बेकार हो गया। तो ब्लोक में बी. डी. ओ. साहब की जिम्मेदारी होगी कि उनको आल्टरनेट रोजी-रोटी मुहैया करे। सड़क बनवाये, चाहे जो करे लेकिन उनको रोजी देना है। अगर रोजी नहीं दे सकते तो दस रुपया रोज मजदूरी देना है और यह सौ दिन के लिये, हंड्रेड डेज के लिये यह उपाय करते हैं। यानी तीन महीने का रोजी एश्योर्ड है। इस कार्य को अगर आप पूरे देश में कर सकते हैं, सचमुच में करना चाहते हैं, रोजी-रोजगार दिलाना चाहते हैं, ग्रामीण अंचल के युवकों को तो इसको आप अवश्य लागू करायें।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : प्लीज कांक्लूड।

श्रीमती कमला सिन्हा : महोदय, एक बात और मैं कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। इस देश के रहन सहन, तौर तरीके सब में

[श्री मती कमला सिन्हा]

फर्क है, अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग बात है। लेकिन एक बात पूरे देश के पैमाने पर देखेंगे तो वह एक है। वह है बेकारी, वह है भुखमरी और दूसरी बात जो है वह है—हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर बाल श्रमिकों की संख्या भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे यहां कानून बने हुये हैं—चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके तहत 14 साल के कम उम्र के बच्चे कल-कारखानों में काम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि श्रम मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, इसलिये मैं यह कहना चाहती हूं कि आज के दिन आप चले जायें छोटे उद्योग जहां हैं, दिल्ली शहर में आप चले जायें। आप देखेंगे कि वहां 8 साल, 10 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, अंधेरी कोठरियों में काम कर रहे हैं। अब इस तरह काम करते-करते वे जब जवान होंगे तो अंधे हो जायेंगे, उनकी हाथ की अंगुलियां खराब हो जायेंगी। उनके लिये कोई काम नहीं, उनके लिये आपने न शिक्षा की व्यवस्था की; उनके जीवन में बढ़ोतरी के लिये कोई काम नहीं किया। हां, नारा जरूर इस देश की सरकार ने लगाया—गरीबी हटाओ। नारा बहुत सुखद था, बहुत अच्छा लगता था। इस देश के सारे गरीबों को उस समय लगा था कि गरीबी हमारी हट गयी और गरीबी हटाओ के नारे पर सब लोगों ने उस समय उधर के लोगों को वोट दिया था, कांग्रेस-आई को वोट दिया था। लेकिन न तो गरीबी हटी, भुखमरी बढ़ती गयी, परेशानियां बढ़ती गयीं, बाल श्रमिकों की संख्या बढ़ती गयी, नौजवान बेकारों की संख्या बढ़ती गयी। देश दुर्दशा के रसातल में जा रहा है और इसको आज के दिन उठाना है तो बड़ा कठिन है। मैं जानती हूं सरकार के बूते के बाहर की बात है। शायद इसके बाद जब कांग्रेस समर्थन वापिस कर लेगी तो चुनाव होगा और उसमें जो सरकार आयेगी, सम्भव है कि वह सरकार कुछ कर सके। लेकिन फिर भी सदन में जो रोजगार के अधिकार को संविधान (संशोधन) विधेयक, 1990 के जरिये संविधान में संशोधन करते हुये रोजगार के अधिकार को जोड़ने की बात जो अहलूवालिया जी ने की है, मैं इसका समर्थन करती हूं लेकिन जहां उन्होंने "उद्देश्य और कारणों का कथन" कहा है उसमें मैं यह अमेंडमेंट मूव करती हूं कि इनका जो लास्ट पैरा है उसको विलुपित किया जाये, क्योंकि लास्ट पैरा में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदय ने 12 मार्च 1990 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सदस्यों को अपने अभिभाषण में आश्वासन दिया था कि सरकार रोजगार का अधिकार देने के लिये एक विधेयक लायेगी, आदि-आदि बातें। सरकार विधेयक लाती लेकिन आपने जो इनके साथ मिलकर हमारे ही घर को फोड़ा हमारे दल को तोड़ा। और जिसके कारण हम वह विधेयक नहीं ला सके वह Onus of the Crime आपके ऊपर रहा हमारे ऊपर नहीं। दोषी आप हैं, हम नहीं। धन्यवाद।

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव : उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरे मित्र श्री अहलुवालिया जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, उन्होंने लिखा है कि—"सब प्रौढ़ नागरिकों को काम का अधिकार होगा अर्थात गारंटीकृत रोजगार और काम के स्वरूप, मात्रा तथा कौशल के अनुसार किए गए काम के लिए भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा ताकि उन्हें जीवन-यापन के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जा सकें"।

अहलुवालिया जी ने यह भी कहा कि जब हमारे देश के युवकों को काम नहीं मिलता तो वे आतंकवाद की तरफ बढते हैं। यह बिल्कुल सच है क्योंकि जब गरीब का खून उबलता है और आंसुओं में से अंगारे निकलते हैं तब उसमें भ्रष्ट समाज को नष्ट करने की शक्ति रहती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको और हम सबको याद है कि गांधी जी ने कहा था कि अगर मेरा पुनर्जन्म होगा और भगवान मुझ से पूछेगा कि किस स्वरूप में मुझे भेजूं तो मैं कहूंगा कि रोटी के रूप में मुझे भेज दो ताकि मैं गरीबों की भूख और प्यास मिटा सकूं। उनके

सिद्धांतो पर, उनके नेतृत्व में यह देश आजाद हुआ। उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में गरीबी हटाने का और आर्थिक क्रांति का आंदोलन चला। लेकिन कुछ विपक्ष के लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। वे यह नहीं सोचते कि यह कितना बड़ा देश है, इस देश की आबादी कितनी अधिक है। आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का दुनिया में दूसरा नंबर है। हमारी पहली योजना 4500 करोड़ रुपए की थी, सातवीं योजना तीन लाख करोड से ज्यादा की बन गई और आठवीं योजना साढ़े सात लाख करोड रुपए की बनने जा रही है। योजनाओं की राशि बडी होती जा रही है और उसके साथ-साथ इस देश की समस्याएं भी बडी होती ज रही हैं। जब हम बढती हुई जनसंख्या की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें और भी बहुत कुछ करना है। ये सब हमें कैसे करना चाहिए, इस पर हमे गंभीरता से विचार करना है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आपको याद होगा कि आज से 20 साल पहले महाराष्ट्र में जब चर्चा हुई कि बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर किया जाए तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय बसंतराव नाईक ने महाराष्ट्र में इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम महाराष्ट्र को दी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई आदमी होगा जो रात में भूखा सोयेगा, महाराष्ट्र में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको काम नहीं मिलेगा, जो काम मांगेगा उसको काम मिलेगा। आज आप देखें कि महाराष्ट्र में ऐसी हालत हो चुकी है कि हम काम के नए-नए क्षेत्र ढूंढ रहे हैं यहां मैं महाराष्ट्र की बात इसलिए कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ है इस देश में, वह बंबई स्टेट से हुआ है। इस आजादी के आन्दोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने पुराने बंबई स्टेट से किया। उस समय गुजरात भी बंबई स्टेट में था और वह आजादी के आंदोलन का मुख्य केंद्र बना। इसी तरह महात्मा फुले, इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, इन लोगों ने देश में सामाजिक और आर्थिक क्रांति को नयी दिशा दी और उसके बाद सारे भारत ने उनका अनुकरण किया।

जैसा कि हम राजाराम मोहन राय का नाम लेते हैं, उसी तरह से महात्मा फूले का नाम लेते हैं। जब मेरी भगिनी महिला सदस्या बोल रही थीं कि आधे से ज्यादा महिलायें इस देश में बेरोजगार हैं, वह इनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं, महिलाओं की ताकत को हम वेस्ट कर रहे हैं अपनी पुरानी रूढ़ियों के कारण, अपनी धार्मिक कुरीतियों के कारण हम महिलाओं की आधी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं, उनके रोजगार की समस्या भी हमारे सामने बहुत बड़ी है। जब हम सोचते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या को कैसे मिटाया जाए तो हमारे मित्र अहलुवालिया जी उस संस्कार में पले हुए हैं जो गुरू नानक देव ने, गुरू गोविन्द सिंह जी ने 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में एक आन्दोलन के रूप में छेड़ा था। उनके दिमाग में जो बात बैठी हुई थी वही उनके दिमाग में भी है कि हमारे देश में आर्थिक प्रगति कैसे हो, आर्थिक क्रान्ति कैसे हो, हम इन दो हाथों को चौबीस घंटों में से दो चार घंटे का काम कैसे दें। जब तक हम इन हाथों को काम नहीं देंगे, उसके लिए योजना नहीं बनायेंगे तब तक भारत प्रगति नहीं कर सकता।

महोदय, आज दुनिया का शक्तिशाली देश अमरीका सारी दुनिया को डर दिखाता है। ईराक ने कुवैत पर हमला कर लिया लेकिन अंग्रेजों और अमरीकनों को दुनियां का पुलिस किसने बनाया ? ये कौन लोग हैं जो सारी दुनियां को नई दिशा दिखाने निकले हैं। इनकी नियत क्या है ? इनकी नियत यह है कि दुनियां मे जो कुछ अच्छा है उस पर अपना अधिकार करें। अमरीका में 30 प्रतिशत भारतीय हैं जो वहां काम करते हैं, लेकिन सारी जगहों पर अमरीका का अधिकार हो यह भी बहुत बड़ा शोषण है। यह जो पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था है वहां पर उसी प्रकार मे हिन्दुस्तान में भी है। जिस-जिस देश में

[श्री बिठ्ठलराव माधवराव जाधव]

पूंजीवादी व्यवस्था होती है वहां बेरोजगारी भी उसी प्रकार से ज्यादा होती है। अगर पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना है तो हमारे जो छोटे मोटे मतभेद हैं, जो छोटे मोटे राजनीतिक मतभेद हैं, यह जो ढोंगबाजी है, ये जो अटकलें हैं उनको समाप्त करके सही तरीके से सोचने की जरूरत है और समाज को आगे ले जाने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इंसान की तीन बुनियादी जरूरतें हैं–रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि जैसे हमें बोलने का, लिखने का, बातें करने का अधिकार है, उसी प्रकार से काम का भी अधिकार मूलभूत अधिकार के रूप में हर मनुष्य को मिलना चाहिए। अगर हर मनुष्य को काम को अधिकार नहीं दे सके तो हमारी आजादी का जो सपना बापू जी ने आज से 40 साल पहले देखा था वह अधूरा है। वह सपना साकार क्यों नहीं हुआ इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आज जो जनता दल टूटा हुआ है, जनता एस और जनता दल में बंटा हुआ है, जनता पार्टी है; बी०जे०पी है, कम्युनिस्ट हैं, ये पूरी व्यवस्था को समाप्त करने जा रहे हैं। यदि पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्प करना है तो उसके लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 65 सौ करोड़ रुपए की थी वह 75 सौ करोड़ रुपये की होने जा रही है। आपको 7500 करोड़ रुपया केवल इस योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए। अगर हमारे देश में पूंजीपतियों के पास, व्यापारियों के पास काला धन है तो यह ठीक नहीं है। 40 साल की आजादी में जो हमारी सामाजिक व्यवस्था रही है उसी के दुष्परिणाम की वजह से यह हुआ है। आज हमारी सरकार सोचे और विपक्ष के लोग सोचें कि इस हिंदुस्तान का काला धन जो है उसको निकालें जो 1100 करोड़ के नजदीक है, तो उससे हमारे देश की बेरोजगारी की सारी समस्या को हल किया जा सकता है। इसलिए यह तो अहलुवालिया जी ने राइट टू वर्क का प्रस्ताव रखा है —

it seems to be the right of the people to get the black money out of the hands of the black-marketeers, smugglers and traders.

इसके लिए हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है जिस पर हमें सोचना चाहिए। **(समय की घंटी)**

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने घंटी बजाई, इसलिए मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

यह सब करने के लिए किस की जरूरत है? हमारे देश में शिक्षा में परिवर्तन करने की जरूरत है। रोजगार में अन्य सुविधा देने के लिए हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि हमारे फर्स्ट स्टेण्डर्ड से जो मैट्रिक पास करके बाहर निकलता है वह क्लर्क के अलाव कुछ नहीं हो सकता। 70 परसेंट भारत की जनता कृषि पर आधारित है फिर भी हमारी शिक्षा नीति में यह नहीं है कि कृषि का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को दिया जाए। हमारे देश में 30 प्रतिशत फोरेस्ट्री है। हमारे फारेस्ट में कौन-कौन से वृक्ष हैं इसकी एक प्रतिशत भी जानकारी हमारे बच्चों को नहीं दी जाती। जो कुछ भी हमारे जीवन से बंधा है, जिस पर हमारा जीवन निर्भर है उसके बारे में अगर हम एक प्रतिशत भी शिक्षा नहीं देंगे तो वह दरिद्रता, गरीबी कैसे दूर होने वाली है। शिक्षा पद्धति में मूलतः परिवर्तन करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, गांव में रहते हैं, मैं कृषि में स्नातक हूं, कृषि के बारे में जानकारी है, मैं किसान भी हूं, मेरा पूरा धंधा खेती का है, इसके सिवाय मेरा और कुछ काम नहीं है। हमारी जो सारी फसल है, चाहे गन्ने की हो, राइस की हो, गेहूं की हो, ज्वार की हो या कपास की हो सारी दुनिया में कम है। हमारा देश दुनिया में दूसरा देश है अमेरिका

के बाद। हमारे पास फसल उगाने वाली जमीन सबसे ज्यादा है, चाइना से भी ज्यादा है। चाइना के पास 32 मिलियन हैक्टेयर लैंड है और हमारे पास 62 मिलियन हेक्टेयर ग्राफ लैंड अंडर फूडग्रेन कल्टीवेशन। उसके बावजूद हमारी फूड प्रोडेक्शन दुनिया में सबसे कम है। कृषि में सुधार की नीति हमने बनाई, कृषि में न्याय देने की बात हमने तय कर ली तो जो आपकी रोजगार की समस्या है वह काफी हद तक अकेले कृषि हल कर सकता है। उसमें ज्यादा एम्पलायमेंट जेनरेट कर सकते हैं मगर उसके बारे में गम्भीरता से सोचना होगा। गम्भीरता से सोचने की बात जब आती है तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पालिसी मेकर्स जो हैं उनके दिमाग में पूंजीपति, उद्योगपति बैठे हुए हैं और यह कभी इसको सुधरने नहीं देंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन या दूसरी चीजों की प्रोडेक्शन तो फालतू की बात है। हमारे देश में 180 मिलियन टन फूडग्रेन की प्रोडेक्शम है और चाइना में 600 मिलियन टन फूडग्रेन है। अगर हम इसमें सुधार लायें तो 20 हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा हम को मिल सकती है और हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। इसके लिए योजना बनाने की जरूरत है। योजना सोने का मुकुट पहनाने से या नोटों का हार पहनाने से नहीं बन सकती है। मैं जानता हूं कि एक आदमी है चौधरी देवी लाल। वह किसान की बात जरूर करता है लेकिन इससे किसान का पेट नहीं भरता, किसान की भूख-प्यास नहीं बुझती। उसके लिए हमें सोचना है, हमें देखना है। टाटा, बिरला की मिलों में काम करने वाले कामगारों को 5 से 6 हजार रुपये तक मिलते हैं। जब तक हमारे खेत में काम करने वाले खेत मजदूर को 5 से 6 हजार रुपये नहीं मिलेंगे तब तक इस देश में कोई सुधार नहीं आयेगा। मजदूरी देने वाला जो किसान है वह वैसा ही शिक्षित होना चाहिए जैसे टाटा, बिरला, मफतलाल। (समय की घंटी) यह इतना बड़ा विषय है कि मैं इस पर घंटों बोल सकता हूं। जब प्राइस राइज की बात आती है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1970-72 में जो बजाज स्कूटर 3000 रुपये का मिलता था आज उसकी कमत 20 हजार रुपये है जबकि 1970-72 में हमारे खेत में पैदा होने वाली ज्वार की कीमत 90 रुपये थी और उसकी कीमत आज 150 रुपये है। एक तरफ 500 परसेंट प्राइस राइज होती है और दूसरी तरफ 150 परसेंट प्राइस राइज होती है। जब तक सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर इस सदन के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और जवाहर लाल की कसम खाकर प्रतिज्ञा नहीं करते कि इस देश की गरीबी हटाने की कोशिश करेंगे तब तक हमारी बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती। मैं अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि हमारे मित्र ने बहुत बुनियादी बातें उठायी हैं। जो आदमी काम मांगता है उसको काम मिलना चाहिए अगर हम लोगों को काम नहीं दे सकते हैं तो हमें, भारत एक डेमोक्रेटिक कन्ट्री है, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत बड़ी ताकत है, यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी देश तब बड़ा बनता है जब उस देश का सामान्य मनुष्य बड़ा बनता है और वह तिरंगा झण्डा लेकर आगे बढ़ता है। उसके सामने न अमेरिका आ सकता है और न ही रूस आ सकता है। किसी की हिम्मत उसका रास्ता रोकने की नहीं होती है। उनकी सारी टेक्नोलाजी हमारे 30 प्रतिशत साइंटिस्टो पर आधारित है, इतना हमारा ब्रेन है, यह सब होते हुए भी अगर हम उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें दोषी ठहरायेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं, वे यहां पर बैठे हुए हैं, एक बार श्री पी. वी. नरसिंहराव ने हमारे क्षेत्र में यह कहा था कि भारत तो एक राष्ट्र है, आप तो अकेले महाराष्ट्र हैं। महाराष्ट्र सदैव ऊंचा सोचता है। महाराष्ट्र ने इम्प्लायमेंट गारन्टी स्कीम चलाई तो हमारे राजीव गांधी जी ने जवाहर रोजगार योजना चलाई। उसका नतीजा आज यह है कि मेरे गांव तक सड़क चली गई और मेरे घर तक गाड़ी जाती है जो पहले नहीं जाती थी। श्री राजीव गांधी जी

[श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव]

ने सोचा कि इस देश का विकास कैसे किया जाय, इस देश में आर्थिक क्रांति कैसे लाई जाय। लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों ने, बुझदिल लोगों ने, जनता को गुमराह किया और हमारी सरकार को गिरा दिया। हमें इसका कोई गम नहीं है। आज लोग असलियत को समझ चुके हैं और जानते हैं कि इस देश को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। श्री चन्द्रशेखर जी को हमने पूरा समर्थन दिया है। उनको हम जानते हैं। वे समाजवादी विचारों के आदमी हैं। सन् 1970 से हम उनको सुन रहे हैं। अगर हम सब लोग मिलकर चलें, संगठित होकर रहें, ईमानदारी से काम करें तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में ला सकते हैं। इसके साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu & Kashmir): Thank you sir, for having given me an opportunity to make my submission on this Bill which has been moved by Shri S. S. Ahluwalia to confer the right to work as a Fundamental Right in the Constitution of India. The Constitution of India recognises certain rights as Fundamental Rights. For instance, the right to speech, the right to assemble, the right to move about freely in India and the right to form associations, all these are recognised as Fundamental Rights. The right to property was also one of the Fundamental Right, but that right has now been taken away by means of an amendment. The question arises whether or not the Right to Work should be a Fundamental Right. Other matters, that there is exploitation in the society, that unemployment is increasing are matters of different consideration. But the matter which we should consider now is whether or not Right to Work should be a Fundamental Right. The basic concept of Fundamental Right is connected with the concept of nature. A man is born, he has a right to live, therefore, right to live is a Fundamental Right. A man is born he has been given by God the power of speech, that power is a Fundamental Right. When a human being is born in this world, God provides him with the capacity to move about, therefore, he has a right to move about freely in the territory in which he lives. These are therefore rightly recognised as Fundamental Rights. Similarly, when a human being takes birth in this world, he is provided by God or Allah with two hands. That means, it is the will of God, it is the will of nature that he should work, he should have the opportunity to work and live in this world. Therefore, Right to Work is in fact a natural right and it must be recognised as a Fundamental Right. There would be no two opinions regarding this. But, other difficulties do come in the way. For instance, the State is not in a position to provide this right to everybody taking into consideration the means available with the State. India is a poor country and the number of persons who do not find work is too large. India is a poor country, and the number of persons who do not find work is too large. Therefore, this has been actually mentioned in this House when this matter came up for consideration on the last President's Address not in this Address but in the Address of the President which was made during Mr. V. P. Singh's Government. Mr. V. P. Singh had gone to the people with this message that he will make the right to work a Fundamental Right. And in the President's Address, that was diluted to some extent. We took objection to that saying that once a political party has gone to the people, given them a certain promise, given a certain understanding that they will give them the right to work as a Fundamental Right, that they will amend the Constitution for that purpose, they should not retract from that promise which is held out to the electorate and that it amounted to cheating or treachery. But, however, it was said that in view of the difficulties felt, it is not possible to ensure the right to work to all the citizens of India. Whatever the difficulties, the right is natural and must find a place in Chapter II of the Constitution of India and must be recognised as a Fundamental Right. Therefore, I whole-heartedly support the Bill moved by Mr. Ahluwalia in this regard.

Now, the question is: What is the reason, why are the people without work in

a country like India or for that matter in most of the countries, specially Asian countries? The reason is that our education ssytem is not job-oriented. In India, the education system has been inherited from the English. And the English brought a system which created Babus as everybody knows. It did not give self-respect or ability to a citizen of India to stand on his own legs after he attains full education. But, at present, we are an independent country. 43 years have passed. But our education system has not undergone any fundamental or diametric change so htat we can make it job-oriented. Today, there are crores of unemployed people in India. There are educated unemployed. A boy blindly continues to study. And he passes B.A. After B.A., what does he get? He has to go again to the Govrenment with a begging bowl for some employment. The Government is already hard-pressed. It has got harly any jobs to offer them. Therefore, this problem spreads, disappointment spreads, and the people get alienated, and we then have the trouble of what we call militancy. And the State is faced wtih a collapse of law and order at various levels. Therefore, it is not a simple question. The right to work has to be guaranteed. And once it is guaranteed it will be enforceable by the courts of law. That should be realised. Even if the State has no funds, the courts of law will enforce that law. Keeping that in view, we should see that whatever law we make, it is not rendered negatory because of the non-availability of funds with the State or because of other difficulties. For that, one of the ways out would be this. If this right is made a Fundamental Right, the State can then think of changing the educational system in such a manner that it is made job-oriented, and most of the students who come out of the schools and colleges and universities have some jobs to do, some crafts to do, some vocations to take up, and they are not left in wilderness. For instance, you have the case of medical students. When they come out, they have got jobs. You have the case of draftsmen. When they come out, they have the jobs. You have the case of lawyers. That is again a technical profession. When they have gone through the LL.B. course, when they come out, they can be self-employed. Similarly, there are other vocations like engineering, etc. where the students, after they have qualified, would not be a burden on the State. Therefore, this right has to be recognised as a Fundamental Right. In order to lessen the burden on the States, I would say that the educational system of our country shall have to be adapted so as to change it in such a manner that the students who come out are able to seek vocations, are able to stand on their own legs, and fewer and fewer boys and girls as such would have to seek employment from the State. Now in our Constitution, when it was framed, it is not that the Constitution fathers did not know that this is a Fundamental Right. But they were faced with hard realities as were existing in India. With the passage of 43 years, conditions have changed. There has been a sea-change. Now, at least, after 43 years we should be able to give this natural right as a Fundamental Right to our people, and incorporate it, as such, in the Constitution of our country. For that purpose, the Constitution-makers had at best thought of putting this right in the Directive Principles of State Policy. For instance, in Section 41 they had said:

"The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want."

This is what they said. But then these Directive Principles of State Policy are not legally enforceable. Not that this Fundamental Right is not recognised by the Constitution or that there was no awareness about it. There was awareness. But then there was shinking from the responsibility to carry out this by incorporating it as a Fundamental-Right in the Constitution because a citizen can only read this Article 41 of the Constitution it is only a pious wish. It is a solace which is not translatable into practice because no courts of law can on the basis of Article 41, give to any person the right to work or direct the State by means of a writ, for instance, "Mr. 'A' is without work, you have not been able to provide him work; give him Rs. 1000 per month till you provide him

[Shri Shabbir Ahmad Solanki]

work". This right is nothing new that we are seeking in India. This is a right of every respectable citizen. This is a right which every well-meaning Government must give to its people. It is already enjoyed by many in Eureapon countries, and it should also be enjoyed by our citizens. Whatsoever may be the difficulties, the State may come forward with it. The States must find ways and means to provide the right to work to the people. Sir, one thing is there, which I would like to submit regarding Mr. S. S. Ahluwalia's Bill which I whole-heartedly support. But his Bill does not define an "adult". In ordinary language the term "adult" means a grown-up person. But for the purposes of law, the term adult has to be defined. His Bill should define the term "adult" to mean a person of certain age. Under the majority Act an adult person means a person of 18 years and in case a court of wards is supervising him, a person of 21 years. Whether that definition is to be imported for the purposes of this Bill should also be spelt out in this otherwise it is left vague. With this submission, I support the Bill of Mr. S. S. Ahluwalia. I congratulate him for having done so, and I will request the hon. Members of the House to support the Bill in toto.

†SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Mr. Vice-Chairman Sir, I rise to support the Constitution (Amendment) Bill, 1990 (insertion of new article 16A) presented by my friend Shri S. S. Ahluwalia in this august House.

Sir, unemployment is the biggest problem the country is facing now. The number of educated unemployed young men is increasing every year. The government has completely failed to provide job opportunities to the educated unemployed persons. This is a very sad state of affairs.

The parents send their children to the schools and colleges with high hopes. They expect that their children will find some employment to sustain their families. But unfortunately they are totally disillusioned to find that their children cannot find suitable jobs after their study. The educated unemployed young men are given to despair and dismay. Out of utter disappointment they sometimes commit suicide. The foremost reason of this sad situation is the faulty education policy that our government has adapted. Our education system has only created some "white-collared Babu's" and nothing else. Now-a-days jobless youngmen are misguided. They are diverting their energy in worng direction. Out of frustration they are indulging themselves in anti-social activities. Mr. Vice-Chairman Sir, now it is high time for us to make a thorough change of our educational system. We should provide vocational training to our students so that the moment they come out of the university they will find out some means to earn their livelihood. All the schools and colleges in the country should provide vocational eductaion to the students. The present educational system is only spoiling our students. In this connection I am reminded of a Rickshaw-Puller who once approached me for a job for his nephew who was a matriculate. The boy wanted to do some clerical job, because he considered to work in the field below his dignity.

Mr. Vice-Chairman Sir, in order to provide adequate job opportunities to our educated jobless youngmen we should give more emphasis on cottage industries. Cottage industry should be given more encouragement by the government. Secondly we should do away with the monopoly system.

Mr. Vice-Chairman Sir, I would like to give two suggestions which, if implemented will solve this problem of unemployment to some extent. Firstly, in my opinion the educated jobless youngmen should form co-operative societies. The dealership of the government Fair Price Shops may be given to these societies instead of individuals. The same individuals are owning these Fair Price Shops for years together. The developmental works of the villages may be done through these Co-operative Societies. Secondly, I welcome the statement of our hon'ble Minister of Railway

†English translation of the original speech delivered in Oriya.

who has presented a proposal to lease out the stalls on the Railway platforms to the educated unemployed youths. Thirdly, the distributorship of cooking gas may also be given to these Co-operative societies. Fifthly, the unemployed engineers may be given the contract to work in the various Public Works Departmnets, instead of the traditional contractors who are doing these works for years together.

Mr. Vice-Chairman Sir, you will be glad to know that the garments, and ornaments and filigree works of India have a very good market in foreign countries, If we liberalise our export policy many jobless youths will be tempted to statrt their own business.

Mr. Vice-Chairman Sir, I don't have anything more to add to what has already been said by some honourable members. Government should adopt all possible ways to save this country from this terrible giant, called unemployment.

Thank you.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, none from the Congress (I) has been called to speak on this Bill. Let me speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You will be called after Shri Daye speaks if there is time as we are closing the business at 6.00 p.m.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया जी जो राईट टु वर्क का बिल यहां लाये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं गौर से यह सारी चर्चा पहले से ही सुन रहा हूं। कई बार अहलुवालिया जी यहां पोलिटिकल लेक्चर दे देते हैं, लेकिन आज वह जो बिल यहां लाये हैं, उसमें बिलकुल मानवीय दृष्टिकोण से उन्होंने सब कुछ सोचा है।

मुझे एक बात का दुख है कि जो उन्होंने आबजेक्ट्स मे लिखा है कि 12 मार्च को प्रेजीडेंट ने यह कहा, वी०पी० सिंह की सरकार राईट टु वर्क का बिल लायेंगे, ऐसा करने व कहने की जरुरत नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रीय दृष्टि से ऊपर उठ कर जो आज हमारे देश मे सब से बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, उसका रास्ता हमारे लिए एक है कि हम जो इम्पलायमेंट का रास्ता नहीं निकालेंगे, तो देश के सामने जो बड़ी-बड़ी समस्यायें खड़ी हुई हैं, उनमें से यह सब से बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में कई इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंटस बेकार हैं, कितने ग्रेज्युएटस बेकार हैं, कितने ही मैट्रिकुलेटस बेकार हैं। यह तो मैं शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, लेकिन देहाती, ग्रामीण क्षेत्र में भी यह स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनका यदि कोई सही रास्ता नहीं निकालेंगे और यह कहेंगे कि वी०पी०सिंह की सरकार ने यह करना था, चन्द्रशेखर जी ने यह करना था, कांग्रेस ने यह करना था, यह सब बातें भूल करके हम सब साथ मिल कर इस राष्ट्रीय समस्या का समाधान कैसे करना चाहते हैं, यह सोचने का यत्न किया गया है।

मुझे विश्वास है कि चन्द्रशेखर जी की सरकार, यह पार्टी देश के गरीबी लोगों के लिए, देश के बेकार लोगों के लिए कुछ सोचती है, उनके लिए जो कुछ काम करना चाहती है—तो देश में खड़ी हुई इस समस्या का समाधान करने के लिए, माननीय श्री अहलुवालिया जी ने जिस दृष्टिकोण से अपना यह बिल रखा है, उनका हम संपूर्ण समर्थन करेंगे।

थोड़े दिन पहले हमारे यहां के योजना आयोग के अध्यक्ष, माननीय धारिया जी ने कह दिया कि एटथ फ़ाईव यिअर प्लान में समस्या को हल करने के लिए 65 हजार करोड़ रुपये खर्च करने होंगे, और इतना पैसा हमारे है नहीं। पर यिअर 13 हजार करोड़ हमारे पास नहीं है। यह डिज़ास्टर हो जाएगा, वहां तक उन्होंने यह बात कह दी। मुझे दुख के साथ कहना है कि कोई जो यह समस्या का समाधान नहीं निकालेगा तो आखिर इस देश में क्या होगा? आज भी हम

[श्री अनन्त राव देवशंकर दवे]

देखते हैं कि कहीं युवाओं में अनरेस्ट है, कहीं बेकार नौजवान गलत रास्ते पर चले जाते हैं। कई पढ़े-लिखे लोग गलत रास्ते पर या गलत धंधे में लग जाते हैं। तो उनके पास एक गारंटी होगी कि वह कालेज में पढ़ता है, वहां जाता है, कुछ बेकार है कुछ गांव में धंधा करता है लेकिन उनके पास यह एक गारंटी है कि मुझे धंधा मिलने वाला है तो जो वह अपने जो कुछ पढ़ने जाता है, काम करने जाता है वह मेहनत से काम करेगा, मेहनत से सीखेगा। लेकिन छोटे-छोटे गांवों में भी यह समस्या आज दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कई सरकारें अपने-अपने लिए कोई न कोई प्रोग्राम बना कर कहीं पैसा लगा कर छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज में जाब क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस समस्या का समाधान करने के लिए सामूहिक प्रयास नहीं होंगे तो यह परिस्थिति अति गंभीर हो जाएगी। इसके साथ ही साथ दूसरी समस्यायें हैं वह भी बढ़ती जाती हैं। प्राइस राइज की समस्या भी उनके साथ जुड़ी हुई समस्या है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज चारों ओर गांवों में, कल भी इस सदन में एक समस्या खड़ी हुई थी एन०डी०डी०बी० की और आज एन डी डी बी जो छोटे-छोटे किसान हैं उनके पास से मूंगफली ले लेती है और छोटे किसान को हम कह सकते हैं कि आप अपने खेतों पर छोटे-छोटे एक्सपैलर बैठाओ। कई लोगों को वहां भी धंधा मिलेगा, वहीं काम मिलेगा। लेकिन यह एन०डी०डी०बी० वहीं से मूंगफली खरीद करके अपने पास इकट्ठो करती है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो एन डी०डी०बी० का चेयरमैन है, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जब अमूल डेयरी शुरू हुई तब एक एडवरटाईजमेंट निकला था कि हमें एक वेटनरी रिसर्च डाक्टर चाहिए। तो आज जो डी०एन डी०बी० का चेयरमैन है वह वेटनरी डाक्टर है। उसको कोई डेयरी टेक्नोलोजी का ज्ञान ही नहीं है। उनके पीछे जो एक मि० शाह थे उनके पास डेयरी का सभी ज्ञान था और अमूल डेयरी इतनी आगे चली गई। उनसे क्या हुआ? आज झोंपड़ियों में अमूल डेयरी का मकान जाता नहीं है। आज छोटे-छोटे गांव के लोगों को लस्सी मिलती नहीं है। यही परिस्थिति निर्मित हुई। इसकी वजह से जो छोटे-छोटे धंधे हैं, छोटे-छोटे काम हैं वह वहां से लेना नहीं चाहिए और ऐसे छोटे-छोटे काम वहां लगा कर प्रोडक्टिव जाब्स हम करना चाहते हैं और वही जो प्रोडक्टिव जाब्स करेंगे तभी देश की बड़ी से बड़ी समस्या जो अति गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है उसका कोई न कोई रास्ता निकलेगा मैं इस सरकार को अनुरोध करूंगा कि इस बिल को आप स्वीकार करें उसके ऊपर गौर से सोचें कोई न कोई रास्ता निकले तभी इस देश की समस्या का समाधान होगा।

अहलूवालिया जी को मैं फिर धन्यवाद देता हूं कि एक मानवीय दृष्टिकोण से जो आज आप राजनीति की बात छोड़ कर यह बिल लाए हैं इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ ही आपने जो बोलने के लिए समय दिया इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने देश की इस ज्वलंत समस्या एक गंभीर समस्या पर विचार रखने का समय दिया। यद्यपि यह मान्यवर, इस समय अब लगता है कि केवल दस मिनट शेष हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने विचारों को रखने का प्रयास करूंगा। मैं अपने साथी श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस गंभीर विषय को इस सदन में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया है। मान्यवर, जनता दल की सरकार जो बनी उसने चुनाव के समय में कई घोषणाएं की थीं और उसमें चुनाव घोषणा-पत्र में एक मुख्य मुद्दा यह था कि बेकारों को काम का अधिकार दिया जाएगा। इस तरह की संविधान में व्यवस्था की जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदय

ने भी गत वर्ष 12 मार्च को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में यह कहा था।

उन्होंने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में यह कहा था कि सरकार शीघ्र ही काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ने के लिए विधेयक प्रस्तुत करेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि वह सरकार इसको नहीं कर सकी। हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री श्री सुमन जी और हम सब लोग उसी दल से आए हैं। मैं माननीय सुमन जी से कहना चाहूंगा कि वह शीघ्र ही इस तरह का एक विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करें क्योंकि यह समस्या बड़ी गंभीर है। देश की जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं, उनमें मैं इसको सबसे भयंकर कहता हूं क्योंकि आज जो बेकारी है, उसके रोजगार दफ्तर के जो सरकारी आंकड़े हैं, वह तो 3 करोड़ के हैं। इस देश में 3 करोड़ नौजवान बेकार हैं जिसमें इंजीनियर्स हैं, डाक्टर्स हैं ग्रेजुएट्स भी हैं और कम पढ़े-लिखे लोग भी हैं। लेकिन मेरा अंदाज है और जो आंकड़े बताते हैं, उनके अनुसार इस देश के लगभग 20 करोड़ नौजवान बेकार हैं। यह 20 करोड़ नौजवान देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1/5 भाग होंगे। मान्यवर जिन हाथों को काम मिलता, जो देश को रचनात्मक दिशा देते, जो देश की समस्याओं को हल करने के लिए आगे बढ़ते, आज उन हाथों में हथियार हैं। मान्यवर, चाहे पंजाब की समस्या हो, चाहे काश्मीर की हो या आसाम की जब उसकी पृष्ठभूमि में हम जाते हैं तो यह निश्चित रूप से साबित होता है कि जहां इस तरह की हरकतें हो रही हैं, उनके पीछे भूख है और भूख के पीछे बेकारी है। इस समस्या को हल करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों का जो आर्टिकल 16 है, उसके साथ 16-ए जोड़ना आवश्यक होगा क्योंकि यह समस्या आज की नयी नहीं है, यह पुरानी है। हमारे जितने राष्ट्रनेता थे, जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने शुरू से इस बात को कहा था। मैं इस संबंध में कांस्टीट्यूएंट एसेंबली में सन् 1948 में श्री एच०वी० कामथ जी के भाषण के कुछ अंश उद्धत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—

"There are millions of people in India today who want to work but do not get work. There are a few parasites who can work but do not want to work. As Bernard Shaw has said, at one end we have men with appetite but no dinner, at the other we have meals with dinner but no appetite. This social order is a house divided against itself. So long as this house divided continued there will be no pease in the world, there will be no happiness in the world."

यह कहा था। इस लिए मान्यवर, यह मूलभूत समस्या है और मेरी समझ में इसके निराकरण के दो रास्ते हैं क्योंकि बराबर भाषण होते हैं। यह बात भी बराबर सही है क्योंकि देश में गरीब बहुत हैं और गरीबी का संबंध बेकारी से है। जब आदमी बेकार रहेगा तो गरीबी बढ़ेगी और जब आदमी बेकार नहीं रहेगा तो गरीबी धीरे-धीरे खत्म हो जायेगी। इसके दो-तीन रास्ते हैं। बेकारी समाप्त करने का केवल एक ही रास्ता नहीं है कि जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनको नौकरियों में लगा दिया जाय क्योंकि नौकरियां इतनी हैं नहीं कि देश के अंदर आज जो 20 करोड़ आदमी बेकार पड़े हुए हैं, सब को नौकरियां दे दी जाएं। कृषि गरीबी दूर करने का, बेकारी दूर करने का बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन जमीन इस देश के पास जो है, उस जमीन को रबड़ की तरह खींच कर बढ़ाया नहीं जा सकता कि जितने बेकार नौजवान निकलेंगे, सबको जमीन पर लगा दिया जाए। इसलिए एक ही विकल्प है बेकारी की समस्या को हल करने के लिए, गरीबी की समस्या को हल करने के लिए और वह है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। यही पूज्य बापू महात्मा गांधी जी का आर्थिक दर्शन है। यही दर्शन, यही आर्थिक नीति है चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह जी ने महात्मा गांधी के इस दर्शन की बार-बार व्याख्या करने का प्रयास किया कि देश की गरीबी तभी मिट सकती है, देश की बेकारी का समाधान तभी हो सकता है, जब छोटे-छोटे कुटीर उद्योग इस देश के अंदर लगाए जाएं,

[श्री ईश दत्त यादव]

छोटे-छोटे धंधों को लगाया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज की शिक्षा और आज के बड़े उद्योग दोनों ही नौजवान को बेकार कर रहे हैं । माननीय रत्नाकर पांडेय जी, चले गए, उन्होंने कहा, वह शिक्षा के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा नौजवान को क्लर्क बनाती है । मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं । शिक्षा नौजवान को क्लर्क नहीं, बल्कि वर्तमान शिक्षा नौजवान को शिक्षा पाने के बाद बेकार बनाती है क्योंकि जब कोई लड़का बी० ए० एम० पास करके कालेज या युनिवर्सिटी से निकलता है और काम नहीं पाता है तो फिर वह हाथ का काम करने के लिए, मोटा काम करने के लिए, श्रम का काम करने के लिए, तैयार नहीं होता है । इस तरह नौजवान बेकार हो जाता है । इसलिए इस देश की जो वर्तमान शिक्षा-पद्धति है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, शिक्षा-पद्धति में सुधार करना पड़ेगा । अगर शिक्षा-पद्धति यही रही, मान्यवर, तो बेकारी की समस्या किसी तरह से हल नहीं होगी । हम बाबर और अकबर का इतिहास पढ़कर या सूर, तुलसी और रसखान के दोहे, सवैया पढ़कर इस देश की बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सकते । जब तक इस देश की शिक्षा-पद्धति में सुधार नहीं किया जाएगा कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद लड़के के पास स्वतः ही रोजगार में लगने के लिए हुनर हो जाए, जब तक शिक्षा को रोजगार-परख नहीं बनाया जाएगा, बेकारी की समस्या हल होने वाली नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में जो जो बड़े-बड़े कल-कारखाने हैं, आधुनिक यंत्र हैं, यह कल-कारखाने और आधुनिक यंत्र बेकारी को बढ़ावा दे रहे हैं । इस देश के अंदर अगर बेकारी बढ़ रही है तो उसका एक प्रमुख कारण हूं कि देश का सारा काम जो है उसका यंत्रीकरण हो गया है, उसका मशीनीकरण हो गया है, आदमी का कुछ पता नहीं है मैन-पावर की कोई जरूरत नहीं है । मैं सरकार से और माननीय सुमन जी से कहूंगा कि इस पर इनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा । हमारे प्रधान मंत्री माननीय चन्द्रशेखर जी प्रेक्टिकल मेन हैं उनको इन सबका व्यावहारिक ज्ञान है । मैं चाहूंगा कि सरकार इस समस्या की ओर गंभीरता से विचार करे कि देश के अंदर जो बेकारी बढ़ रही है जो भयावह स्थिति दिनों-दिन होती चली जा रही है इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए इसका निदान कैसे किया जाए जिससे देश की बेकारी भी मिटे और जो देश के बेकार नौजवान हैं उनको काम भी मिले । देश के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं जैसा हमारे साथी माननीय अहलुवालिया जी ने कहा...

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : यादव जी आपको कितना टाइम लगेगा ।

श्री ईश दत्त यादव : मान्यवर अभी तो मुझे बोलना है ।

6 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Yadav, you can continue on the 8th of March when this subject will be taken up again.

SHRI ISH DUTT YADAV: Sir, let me finish.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can continue then. So the discussion remains inconclusive. It will be taken up again on the 8th of March.

Now, before I adjourn the House, I extend felicitations and greetings to all of you on the occasion of Holi.

SHRI V. NARAYANASAMY: Same to you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The House stands adjourned till 11 a.m. on 4th March.

The House then adjourned at one minute past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 4th March 1991.